फा सं. 2.2(6) / 2019-सा. II
संघ लोक सेवा आयोग
सामान्य- II अनुभाग

विषय: संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण/परीक्षाओं (सीबीआरटी) के लिए खुली निविदा ।

संघ लोक सेवा आयोग का आशय अगले तीन वर्ष के दौरान अनुबंध-I क में दिए गए कार्य क्षेत्र में यथावर्णित भारत के 41 केन्द्रों / शहरों में से ऐसे केन्द्रों / शहरों में 50,000 उम्मीदवारों (इस संख्या में वर्ष दर वर्ष बढ़ोतरी हो सकती है) तक के लिए एक साथ एक दिन में कई कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षणों/ परीक्षाओं का आयोजन करने का है । यह नोट कर लें कि उम्मीदवारों की संख्याओं तथा केन्द्रों/ शहरों की संख्या समय-समय पर भिन्न हो सकती है जो आयोग एवं विशेष सी बी आर टी / परीक्षा के आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्याओं पर निर्भर करती है । तदनुसार, इस दस्तावेज़ के अनुबंध-I में यथानिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र के अनुसार सीबीआरटी / परीक्षा के आयोजन के लिए ऐसी भारतीय फर्मों से ऑन लाइन निविदा आमंत्रित की जाती हैं जिनका प्रमाणिक रिकॉर्ड है और वे संबंधित कार्य में अनुभव रखती हैं । मैन्युअल बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी ।

<u>सामान्य निबंधन एवं शर्तें</u>

<u>क्रिटिकल डेट शीट</u>

सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित करने की तारीख	
दस्तावेज डाउनलोड करने की प्रारंभिक तारीख	
दस्तावेजों को डाउनलोड करने की अंतिम तारीख	
बोली प्रस्तुतीकरण प्रारंभ होने की तारीख	
ऑन लाइन निविदा को अपलोड करने की अंतिम तारीख और समय	
तकनीकी बोली को खोलने की तारीख एवं समय	
धरोहर जमा राशि (ई एम डी)	80,00,000/- रूपए

बोलियां सीपीपी वेब साइट https: // eprocure.gov.in / eprocure/ app पर केवल ऑन लाइन प्रस्तुत की जाएगी ।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि ई- प्रापण संबंधी केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल पर https:// eprocure. gov.in / eprocure /app के माध्यम से ऑन लाइन बोलियों के ई-प्रस्तुतीकरण के लिए अनुदेशों का अनुपालन करें।

बोली दस्तावेजों को श्वेत एवं श्याम विकल्प सहित **100dpi** के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज़ों के आकार को कम करने में मदद करता है ।

1. **बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया:-**

निविदा दो भागों में अर्थात् तकनीकी बोली और मूल्य बोली में, ऑन लाइन प्रस्तुत की जाएगी । प्रस्तुत की जाने वाली बोली के सभी पृष्ठों पर, दस्तावेज़ों के विषय वस्तु की प्रकृति से असंबद्ध रहते हुए, दस्तावेज़ों को अपलोड किए जाने से पहले बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा क्रमिक रूप से संख्या उनको दी जानी चाहिए । टेलीग्राम / फैक्स / ई-मेल अथवा अन्य तरीकों से प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा । इस मुद्दे पर कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

(क) तकनीकी बोली:-

निविदा दस्तावेज के अनुसार बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने है :-

i. 80,00,000 /- रू. की धरोहर जमा राशि की हस्ताक्षरित तथा स्कैन्ड प्रति ।
ii. पैन कार्ड / माल एवं सेवाकर पंजीकरण प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित तथा स्कैन्ड प्रतियां ।
iii. फर्म की पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 (खंड 6 द्वारा यथापेक्षित) की आयकर विवरणी की हस्ताक्षरित तथा स्कैन्ड प्रति ।

iv. पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 (खंड 6 द्वारा यथापेक्षित) की लेखा परीक्षित लाभ एवं हानि खाता की हस्ताक्षरित तथा स्कैन्ड प्रति ।

v. पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 (खंड 6 द्वारा यथापेक्षित) की लेखा परीक्षित बैंलेस शीट की हस्ताक्षरित तथा स्कैन्ड प्रति ।

vi. चार्टरित लेखाकार (सी ए) से प्राप्त प्रमाण पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि "विगत तीन वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक कारोबार केवल ऑन लाइन/ कम्प्यूटर आधारित / ऑन लाइन भर्ती परीक्षा से संबंधित है और अन्य स्रोतों से प्राप्त आय इसमें शामिल नहीं की गई है" (खंड 6 द्वारा यथापेक्षित) की हस्ताक्षरित स्कैन्ड प्रति ।

vii. कंपनी का निगमन प्रमाण पत्र (खंड 7 द्वारा यथाअपेक्षित) की हस्ताक्षरित स्कैन प्रति।

viii. विगत पांच वर्षों के दौरान बोलीदाता द्वारा आयोजित सीबीआरटी / परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न किए जाने संबंधी प्रमाणपत्र तथा / अथवा क्रय आदेश की हस्ताक्षारित स्कैन की गई प्रति (खंड 8 द्वारा यथापेक्षित) ।

ix. दस्तावेजी साक्ष्य की हस्ताक्षरित स्कैन्ड प्रति (खंड 09 द्वारा यथापेक्षित) ।

x. आईएसओ 9001 तथा आईएसओ 27001 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानक)/ एसटीक्यूसी प्रमाण पत्र (खंड 11 द्वारा यथाअपेक्षित) की हस्ताक्षरित स्कैन्ड प्रतियां ।

xi. कार्य क्षेत्र (अनुबंध-I) के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट (अनुबंध-II में दिए गए अनुसार) की हस्ताक्षरित स्कैन्ड प्रति ।

xii. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उन केन्द्रों की सूची जहां फर्म द्वारा सिंगल स्लॉट में सीबीआरटी का आयोजन किया गया की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की गई प्रति ।

xiii. प्रमाण पत्र (अनुबंध-III में दिए गए अनुसार) जो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित हो, की हस्ताक्षरित स्कैन्ड प्रति ।

xiv. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित वचनबंध (अनुबंध-III क में दिए गए अनुसार) की हस्ताक्षरित स्कैन्ड प्रति ।

xv. इस दस्तावेज़ के खंड 14 एवं 41 में यथा वर्णित प्रमाण पत्रों / दस्तावेज़ों की हस्ताक्षरित स्कैन्ड प्रतियां ।

xvi. प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रारूप करार (अनुबंध-V के अनुसार) की हस्ताक्षरित स्कैन की गई प्रति ।

xvii. जांच सूची (अनुबंध-VI) के अनुसार सभी समर्थित दस्तावेज़ों की हस्ताक्षरित स्कैन्ड प्रति।

(ख) **<u>मूल्य बोली:-</u>**

मूल्य बोली की अनुसूची निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करनी होगी । बोलीदाता को मूल्य अनुसूची के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में (अनुबंध-IV) ही दरें प्रस्तुत करनी होगी । करों को हटाकर दरों का उल्लेख करना होगा । दरों के साथ करों का उल्लेख अलग से किया जाएगा ।

(ग) सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को देय 80,00,000/- (अस्सी लाख रूपए मात्र) की धरोहर जमा राशि (ईएमडी) डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर / बैंकर्स चेक / बैंक गारंटी / फिक्स जमा प्राप्ति के रूप में हो, की मूल लिखत की हार्ड प्रति, क्रिटिकल डेटशीट में यथा वर्णित बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख/ समय पर या इससे पहले संघ लोक सेवा आयोग को सुपुर्द करनी होगी ।

2. **<u>देरी से प्राप्त होने वाली बोलियां:-</u>**

देरी से प्राप्त होने वाली बोलियां अर्थात् बोली प्राप्त करने की निर्धारित तारीख तथा समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

3. बोली खुलने की तारीख से बोली 180 दिनों के लिए वैध रहेगी ।

4. **<u>धरोहर जमा राशि:-</u>**

(i) **80,00,000/- (अस्सी लाख रूपए मात्र**) की धरोहर जमा राशि का डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर/ एफ डी आर / बैंकर्स चेक / बैंक गारन्टी के रूप में जो सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के नाम से दिल्ली में देय हो, जमा करनी होगी । जी एफ आर 2017 के नियम 170 में यथा प्रदत्त के अलावा धरोहर जमा राशि को प्रस्तुत करने के संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी । धरोहर जमा राशि के बिना और उपर्युक्त निर्धारित के अलावा अन्य रूप में धरोहर जमा राशि के साथ प्रस्तुत बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

(ii) धरोहर जमा राशि, अंतिम बोली वैधता अवधि से परे पैतालीस दिन की अवधि के लिए वैध रहेगी ।

(iii) निविदा को अंतिम रूप प्रदान किए जाने के बाद असफल बोलीदाताओं को धरोहर जमा राशि लौटा दी जाएगी । किसी भी परिस्थिति में सं. लो. से. आ. द्वारा धरोहर जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

5. **<u>कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि</u>**:-

(i) सफल बोलीदाता को प्रत्येक प्रथम, द्वतीय एवं तृतीय वर्ष के लिए वार्षिक संविदा मूल्य का 10% की दर से कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा । प्रत्येक वर्ष के लिए कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि प्रत्येक तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के शुरू होने पर प्रस्तुत करना होगा । प्रथम तथा द्वतीय वर्ष के लिए कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि की वैधता 15 माह की अवधि के लिए होगी । तृतीय वर्ष के लिए कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि वारंटी बाध्यताएं, यदि कोई हों सहित सभी संविदात्मक दायित्वों के पूर्ण होने के नब्बे दिनों तक वैध रहेगी । कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / बैंक गारंटी के रूप में सचिव, सं. लो. से. आ. के पक्ष में दिल्ली में देय हो, के रूप में होगी । प्रत्येक तीन वर्षों के लिए कार्य के संतोषजनक रूप से पूरा होने तक आयोग द्वारा कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि को अपने पास रखा जाएगा ।

(ii) यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए कि सं. लो. से. आ. द्वारा निर्धारित समय सीमा तथा कार्य क्षेत्र अनुसार कार्य के पूर्ण न होने की स्थिति में, कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त की जा सकती है । यह, निर्धारित क्षति / शास्ति यदि कोई हो, जैसा कि निबंधन एवं शर्तों में यथाविनिर्दिष्ट रूप में लगाई जा सकती है, के अतिरिक्त होगी । कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि की प्राप्ति पर सफल बोलीदाता को धरोहर जमा राशि वापस कर दी जाएगी । किसी भी परिस्थिति में सं. लो. से. आ. द्वारा कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

<u>पात्रता मानदंड:</u>

6. बोलीदाता / मूल कंपनी का विगत तीन वर्षों अर्थात् 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 में से किसी भी वर्ष में हानि में न हुई हो । टर्न ओवर के संबंध में बोलीदाता पर निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे :-

(i) बोलीदाता का विगत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान औसत वार्षिक कारोबार कम से कम 10 करोड़ रूपए हो ।

(ii) यह कारोबार पूर्णत: ऑन लाइन / कम्प्यूटर आधारित / ऑन लाइन भर्ती परीक्षा से संबंधित सेवाओं से होना चाहिए ।

(iii) कारोबार के समर्थन में, बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

(क) पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 की फर्म की आयकर विवरणी ।

(ख) पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 की लेखा परीक्षित लाभ एवं हानि खाता ।

(ग) फर्म की पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 की लेखा परीक्षित बैंलेस शीट। “यदि बोलीदाता 2019-20 की लेखा परीक्षित बैंलेस शीट देने में सक्षम नहीं है तो उसे 2019-20 की चार्टरित लेखाकार से विधिवत सत्यापित बैंलेस शीट प्रस्तुत करनी होगी”।

(घ) चार्टरित लेखाकार (सी ए) से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि "विगत तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष का औसत वार्षिक कारोबार केवल ऑन लाइन/ कम्प्यूटर आधारित / ऑन लाइन भर्ती परीक्षण से संबंधित है और अन्य स्रोतों से प्राप्त आय को इसमें शामिल नहीं किया गया है ।"

7. एजेन्सी को भारतीय विधि के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी होना चाहिए और विगत 3 वर्षों से कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं के क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए और सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्तशासी निकायों / लोक सेवा आयोगों को भर्ती सेवाएं मुहैया कराने के कार्य में रत होना चाहिए। तकनीकी बोली के साथ निगमन प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है ।

8. अधिकांश कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण / परीक्षा (सीबीआरटी) वर्तमान में 2,000 से 25,000 (अनुमानत:) उम्मीदवारों के लिए 15 केन्द्रों अर्थात् अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, जयपुर, जम्मू, कोची (एरणाकूलम), कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, रांची तथा विशाखापटनम पर आयोजित किए जा रहे हैं । इसके अलावा सीबीआरटी परीक्षा जिनमें उम्मीदवारों की संख्या अधिक है, अनुबंध-I (क) में उल्लिखित 41 केन्द्रों में भी आयोजित की जा रही है । तद्नुसार, एजेंसी के पास विगत 5 (पॉच) वर्षों में न्यूनतम 30,000 उम्मीदवारों की एक ही समय में कम से कम 01 (एक) सी बी आर टी परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित करने का अनुभव होना चाहिए । ऐसे सीबीआरटी परीक्षा, सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों / स्वायतशासी निकायों / लोक सेवा आयोगों के लिए अनुबंध-I (क) में उल्लिखित 41 केन्द्रों में से 30 केन्द्रों में एक साथ (सिंगल स्लॉट) आयोजन किया जाना चाहिए । उपर्युक्त सीबीआरटी के आयोजन के साक्ष्य के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी क्रय आदेश तथा / अथवा समापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । इसके अलावा वेंडर के पास अनुबंध-I (क) में यथा उल्लिखित 41 केन्द्रों में से 30 केन्द्रों में एक ही समय में न्यूनतम 50,000 उम्मीदवारों के साथ सीबीआरटी परीक्षा आयोजित करने की क्षमता तथा इच्छा होनी चाहिए । इस संबंध में, वेंडर को एक

वचनबंध, प्रपत्र (अनुबंध-III क) के अनुसार प्रस्तुत करना होगा कि उनके पास अनुबंध-I (क) में यथा उल्लिखित 41 केन्द्रों में एक ही समय में न्यूनतम 50,000 उम्मीदवारों की सीबीआरटी परीक्षा आयोजित कराने की क्षमता है तथा वे इसका आयोजन करेंगे ।

9. एजेन्सी के पास सुरक्षित वातावरण में आयोग की अपेक्षाओं के अनुसार डेटाबेस प्रबंधन के लिए उनका अपना / किराये का टीयर-3 या उससे ऊपर का डेटा केन्द्र होना चाहिए । निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करते हुए तकनीकी बोली में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया जाए :-

(क) सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों को सर्व करने वाला मल्टीपल रीडन्डेन्ट कैपेसिटी कम्पोनेन्ट होना चाहिए ।

(ख) 99.98% की अपेक्षित उपलब्धता के साथ समवर्ती रूप से अनुरक्षण की जाने वाली साइट की आधारभूत संरचना ।

10. एजेन्सी के पास प्रत्येक परीक्षण केन्द्र पर बैक अप सर्वर सहित इन्टरानेट आधारित मॉडल का उपयोग करते हुए एजेंसी के स्वामित्व वाले स्थानीय सर्वरों की तैनाती द्वारा, अनुबंध-I क में यथा सूचीबद्ध देश भर में फैले 30 शहरों में, कम से कम 30,000 उम्मीदवारों के लिए एक बार में भर्ती परीक्षा आयोजित करने में प्रामाणिक विशेषज्ञता होनी चाहिए । खंड-8 में यथावर्णित प्रमाण पत्र उक्त के साक्ष्य के रूप में पर्याप्त होगा ।

11. कंपनी के पास आई एस ओ 9001 तथा आई एस ओ 27001 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानक)/ एस टी क्यू सी प्रमाणपत्र होना चाहिए। तकनीकी बोली के साथ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए ।

<u>अन्य निबंधन एवं शर्तें:-</u>

12. एजेंसी के पास प्रश्न पत्र संलेखन, कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, उम्मीदवारों का बायोमैट्रिक हैंडलिंग आदि से संबंधित सभी साफ्टवेयर अवश्य होने चाहिएं या एजेंसी के पास तृतीय पक्ष सुरक्षा अनुपालन सहित लाईसेंस कापी होनी चाहिए जो कम से कम विगत तीन वर्षों से प्रयोग में हो । एजेंसी को, कार्य क्षेत्र (अनुबंध-I) के संबंध में सं. लो. से. आ. की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी साफ्टवेयर के किसी भी मॉडयूल में परिवर्तन करने में सक्षम होना चाहिए ।

13. एजेंसी, आयोग द्वारा निर्धारित तारीख के अनुसार भर्ती परीक्षण (आर टी) / परीक्षा आयोजित करेगी । एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा / आर टी के आयोजन के लिए किराए पर लिए गए स्थल दो दिनों के लिए अर्थात् व्यवस्था वाले दिन के लिए तथा परीक्षा के आयोजन वाले दिन के लिए होने चाहिएं । तथापि, व्यवस्था वाले दिन एजेंसी को 8.00 बजे पूर्वा. से 6.00 बजे अपरा. तक आयोग की अपेक्षाओं के अनुसार मॉक टेस्ट आयोजित करने के लिए तीन घंटे के स्लाट की व्यवस्था करनी होगी । आयोग द्वारा भर्ती परीक्षण / परीक्षा के आयोजन का निर्णय लिए जाने के बाद एजेंसी को परीक्षा आयोजित करने के लिए आगे दो माह का समय दिया जाएगा ।

14. बोलीदाता को अपनी तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र / दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिएं :-

(i) उन सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों / स्वायत्तशासी निकायों / लोक सेवा आयोगों की सूची जहां फर्म ने इस प्रकार का कार्य किया है या कर रही है । ऐसे सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्तशासी निकायों / लोक सेवा आयोगों के कार्य आदेश की प्रतियां भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिएं।

(ii) बोलीदाता द्वारा सी बी आर टी के लिए यथापरिकल्पित प्रत्येक अस्थायी स्थल पर आधारभूत संरचना के विवरण के साथ कार्य क्षेत्र (अनुबंध-I) के संबंध में बोलीदाता द्वारा जैसा समझा गया, प्रदेय उत्पाद / सेवा के संबंध में विवरण ।

(iii) (क) निविदा की सभी निबंधन एवं शर्तों की स्वीकृति (ख) आय एवं धन को छिपाने के लिए गैरदंडादेश (ग) अनुबंध-III के अनुसार कार्यक्षेत्र सहित बोली की समझ एवं सख्त अनुपालन के संबंध में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र ।

(iv) पैन कार्ड तथा माल एवं सेवाकर पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति ।

(v) इस निविदा आमंत्रण सूचना के पैरा 6,7,8,9,10,11 तथा 41 में यथा उल्लिखित प्रमाणपत्र।

15. एजेंसी के पास परीक्षण इंजन के साफ्टवेयर स्रोत कोड का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। उन्हें आयोग की अपेक्षानुसार साफ्टवेयर में परिवर्तन करने में सक्षम होना चाहिए । साफ्वेयर के वर्जन में यदि कोई परिवर्तन हो तो एजेंसी द्वारा उक्त के संबंध में आयोग को सूचित करना होगा या आयोग द्वारा यदि कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही उक्त को अपग्रेड/ लागू किया जाना चाहिए । केवल आयोग का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही अगले भर्ती परीक्षण / परीक्षा से अपग्रेड वर्जन प्रयोग में लाया जाएगा।

16. परीक्षा के दौरान माऊस को क्लिक करते ही, उम्मीदवारों को अनुदेश उपलब्ध करवाए जाने चाहिएं ।

17. एजेंसी, परीक्षण / परीक्षा के स्थल पर रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों के बायोमैट्रिक फिंगरप्रिंट तथा फोटोग्राफ को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित आबंटित समय के भीतर सफलतापूर्वक कैप्चर करने के प्रति उत्तरदायी होगी । कैप्चर की गई बायोमैट्रिक जानकारी को आयोग के साथ साझा करना होगा तथा आयोग कार्यालय में साक्षात्कार के समय एजेन्सी द्वारा इसे सत्यपित भी किया जाएगा ।

18. परीक्षा अवधि के दौरान टर्मिनल पर प्रत्येक उम्मीदवार की फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

19. सं. लो. से. आ. की अपेक्षाओं के अनुसार एजेंसी द्वारा स्क्रीन पर द्विभाषी प्रदर्शन सहित प्रश्न पत्र मुहैया कराया जाएगा ।

20. एजेंसी अपने डेटा केन्द्र में सुरक्षित तथा इन्क्रिपटेड तरीकों से पूर्ण प्रत्युत्तर डेटा तथा उपस्थिति आंकड़ों के मिलान के प्रति उत्तरदायी होगी जिसे आयोग कार्यालय की अपेक्षाओं / फार्मेट के अनुसार परीक्षा / परीक्षण की समाप्ति के तत्काल बाद आयोग के साथ साझा किया जाएगा ।

21. परीक्षा के दौरान होने वाले कदाचार/ जालसाजी को रोकने के लिए एजेंसी द्वारा प्रस्तावित प्रणाली (उद्धृत दरों के अंदर) में कार्यविधि / विशेषताओं का उल्लेख करना होगा । इसका उनकी तकनीकी बोली में विस्तार से उल्लेख किया जाए ।

22. प्रत्येक परीक्षा की समाप्ति के बाद ई-मेल के माध्यम से प्रत्येक परीक्षा की संक्षिप्त रिपोर्ट जब भी आवश्यक हो संघ लोक सेवा आयोग की सलाह के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में उम्मीदवारों को उपलब्ध करानी होगी ।

23. बोलीदाता को यह उल्लेख करते हुए एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निविदा की सभी निबंधन एवं शर्तें उन्हें स्वीकार्य हैं (अनुबंध- III) । बोलीदाता को कार्य क्षेत्र (अनुबंध-II) के संबंध में खंड दर खंड अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी । विचलन की स्थिति में, विचलन का विवरण तथा तकनीकी विनिर्दिष्टताओं तथा व्यावसायिक शर्तों के प्रावधानों के अपवाद को भी बोलीदाता द्वारा प्रदान किया जाएगा । तथापि, संघ लोक सेवा आयोग बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसे विचलन सहित बोली को अस्वीकार करने के संबंध में कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है ।

24. काल्पनिक तथा सशर्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

25. सही तरीके से काम करने की स्थिति वाले उपकरण की व्यवस्था के लिए फर्म जिम्मेदार होगी और फर्म को परस्पर सहमति के आधार पर परीक्षण / परीक्षा के दिन, पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कार्मिकों को तैनात करना होगा ।

26. बोली से उत्पन्न सभी कानूनी विवाद यदि कोई हों, केवल दिल्ली न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन होंगे ।

27. दरें "प्रति उम्मीदवार जिन्हें प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, प्रति प्रश्न पत्र" के आधार पर उद्धृत की जाएंगी और अनुबंध- IV के अनुसार नि.आ.सू. में निर्दिष्ट दिल्ली केन्द्र तथा अन्य केन्द्रों पर सिस्टम के परिवहन एवं संस्थापन से संबंधित सभी प्रभार इसमें शामिल होंगे ।

28. यदि परीक्षण / परीक्षा एक से ज्यादा सत्र में आयोजित की जाती है तो भुगतान उम्मीदवारों को जारी प्रवेश पत्र गुणा सत्र की संख्या के आधार पर किया जाएगा ।

29. (i) कैलेन्डर वर्ष 2020 में कम्प्यूटर आधारित तरीके से आयोग द्वारा आयोजित की गई प्रत्येक भर्ती परीक्षण/ परीक्षाओं के संबंध में जारी प्रवेश पत्रों की वास्तविक संख्या 1,89,670 है:-

(ii) परीक्षा की हाईब्रिड प्रणाली को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों की वर्ष वार अनुमानित संख्या निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	समयावधि	उम्मीवारों की अनुमानित संख्या*
1.	प्रथम वर्ष	2,00,000
2.	द्वितीय वर्ष	2,10,000
3.	तृतीय वर्ष	2,20,000

*उपर्युक्त आंकडें पूर्णत: सूचनात्मक है तथा संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से इन्हें इसकी प्रतिबद्धता के रूप में नहीं माना जाएगा ।

30. प्रत्येक भर्ती परीक्षण / परीक्षा में उम्मीदवारों / परीक्षा केन्द्रों की संख्या केवल सूचनात्मक है तथा इस निविदा आमंत्रण सूचना के पहले पैरा में यथावर्णित आयोग के निर्णय तथा अपेक्षाओं के आधार पर भिन्न हो सकती है ।

31. कर, प्रति उम्मीदवार जिन्हें प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, प्रति प्रश्न पत्र पर आधारित अलग से उद्धृत की जाएगी । अन्यथा उद्धृत दरों में करों को शामिल माना जाएगा और करों में बढोतरी के लिए अनुवर्ती अनुरोध पर इस कार्यालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा । वे बोलीदाता जो कर की दर को अलग से उद्धृत नहीं करते हैं, उन्हें प्रतिक्रियाशील नहीं माना जाएगा और उनकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

32. आयकर : निविदा बिलों से स्रोत पर यथालागू, वसूल करने योग्य ।

33. कोई भी बोली, बोली प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख तथा बोली की वैधता अवधि की समाप्ति जैसा कि बोलीदाता द्वारा निर्दिष्ट किया गया है या इसमें निर्धारित है, के बीच के अंतराल में वापस नहीं ली जा सकती है । अंतराल के दौरान, बोली वापस लेने का परिणाम बोलीदाताओं की धरोहर जमा राशि की जब्ती हो सकती है ।

34. यदि फर्म या फर्म के संबंधित प्रभाग को किसी अन्य फर्म द्वारा अपने अधिकार में ले लिया जाता है/ खरीद लिया जाता है तो करार के अंतर्गत सभी दायित्व तथा कार्यान्वित की जाने वाली जिम्मेदारियां नई फर्म को हस्तांतरित हो जाएंगी ।

35. बोलीदाता, कार्य क्षेत्र सहित नि.आ.सू. के सभी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार कार्य को सख्ती से निष्पादित करेंगे । संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त निदेशक (सू.प्र.) या कोई अन्य अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग की ओर से नोडल अधिकारी होंगे और बोलीदाता द्वारा यथापेक्षित समन्वय तथा आवश्यक सहायता, यदि कोई हो, प्रदान करेंगे ।

36. वेंडर, आयोग द्वारा निर्णित उम्मीदवारों की न्यूनतम संख्या के अनुसार सभी केन्द्रों पर सी बी आर टी / परीक्षा की व्यवस्था करेंगे ।

37. सी बी आर टी के आयोजन के लिए कार्य क्षेत्र, अनुबंध-I में दिया गया है । बोली को अनुबंध-I में वर्णित कार्य क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए । सभी बोलीदाताओं को अनुपालन विवरणी (अनुबंध-II) भरनी अपेक्षित है इसके बिना कुटेशन को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

38. **संविदा की वैधता:** संविदा बोली प्रदान किए जाने की तारीख से 3 वर्ष के लिए वैध रहेगी । वेंडर द्वारा उद्धृत की गई वर्ष वार दर संविदा अवधि के दौरान स्थिर रहेंगी ।

39. **जोखिम क्रय खंड:** यदि बोली की प्रस्तुति तथा उसको विधिवत रूप से स्वीकृत किए जाने के बाद अर्थात् आर्डर देने के बाद निविदा दस्तावेज़ की निबंधन एवं शर्तों का पालन करने और / या दिए गए निर्धारित समय सीमा के अनुसार कार्य निष्पादित करने में फर्म असफल होती है या किसी भी समय संविदा को छोड़ देती है तो संघ लोक सेवा आयोग को धरोहर जमा राशि को जब्त करने, फर्म द्वारा जमा की गई कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि की जब्ती तथा फर्म के जोखिम तथा व्यय पर किसी अन्य फर्म से कार्य करवाने का अधिकार होगा । फर्म के बोली मूल्य तथा वैकल्पिक व्यवस्था के कारण होने वाली लागत के अंतर की वसूली अन्य प्रासंगिक प्रभारों सहित फर्म से की जाएगी । यदि सं. लो. से. आ. को वैकल्पिक स्रोत से कार्य करवाने को विवश किया जाता है और यदि उसकी लागत कम होती है तो इस मद में होने वाला लाभ, फर्म को नहीं दिया जाएगा ।

40. **बोली का मूल्यांकन** :

क. तकनीकी बोली का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होगा :

(i) सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्तशासी निकायों / लोक सेवा आयोगों आदि में अनुबंध-I क में यथा सूचीबद्ध, 41 शहरों में से 30 केन्द्रों में न्यूनतम 30,000 उम्मीदवारों के लिए एक ही समय पर कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण / परीक्षा के आयोजन में बोलीदाता का अनुभव ।

(ii) बोलीदाता द्वारा कार्य क्षेत्र (अनुबंध-I) तथा नि.आ.सू. के अन्य निबंधन एवं शर्तों के सन्दर्भ में अनुपालन रिपोर्ट पर आधारित ।

(iii) शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए सुविधाएं, पावर बैक अप- जनरेटर तथा यू. पी. एस., वातानुकूलन, बैकअप सर्वर के प्रकार आदि सहित आयोग की अपेक्षाओं के अनुसार परीक्षण/ परीक्षा केन्द्रों पर आधारभूत संरचना की उपलब्धता ।

(iv) पूर्ववर्ती विगत 3 वर्षों 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 की आयकर विवरणी एवं लेखा परीक्षित बैंलेस शीट के आधार पर ।

(v) नि.आ.सू. के पैरा-1(क), 6-11, 14 तथा 41 में वर्णित दस्तावेज़ों की शर्तों पर आधारित।

ख. वित्तीय बोली का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होगा:

(i) केवल उन्हीं बोलीदाताओं की "वित्तीय" बोली खोली जाएगी जिनकी तकनीकी बोली, कार्य क्षेत्र, बोलीदाता की तकनीकी क्षमताओं, नि.आ.सू. के पैरा-1(क), 6-11, 14 तथा 41 में यथा निर्धारित दस्तावेज़ों के प्रस्तुतीकरण तथा कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण / परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए वेंडर द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं के निरीक्षण के आधार पर तकनीकी बोली के विस्तृत परीक्षण के बाद संघ लोक सेवा आयोग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी । वित्तीय बोली को खोलने की तारीख एवं समय की सूचना संबंधित पक्षकारों को यथा समय दे दी जाएगी ।

(ii) दरें 'प्रति उम्मीदवार प्रति प्रश्न पत्र आधार पर जिन्हें प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा', उद्धृत की जाएं ।

(iii) एल-1 बोलीदाता का निर्णय एन पी वी (कुल वर्तमान मूल्य) तथा 10% वार्षिक बट्टे की दर सहित मूल्यांकन के समय यथा लागू कर के आधार पर किया जाएगा । एल-1 के निर्धारण के लिए केवल आधार मूल्यों (मूल्य अनुसूची के क्रम सं. 1 के अनुसार) पर विचार किया जाएगा। तथापि, वेंडर, संघ लोक सेवा आयोग की अपेक्षाओं के अनुसार सभी परीक्षणों / परीक्षाओं का आयोजन करेंगे तथा एल-1 वेंडर को भुगतान वेंडर द्वारा वर्ष-वार उद्धृत दर तथा यथा लागू कर के आधार पर किया जाएगा । भुगतान उस विशेष भर्ती परीक्षण / परीक्षा के लिए जारी प्रवेश पत्र की संख्या के आधार पर किया जाएगा । एल-1 फर्म का निर्णय करने हेतु की गई गणना का विवरण अनुबंध-IV (मूल्य अनुसूची) में दिया गया है ।

41. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कार्य गोपनीय एवं संवेदनशील प्रकृति का है, बोलीदाता को तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे:-

(i) सं. लो. से. आ. की पूर्व अनुमति के बिना किसी को भी कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण/ परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का विवरण चाहे जो भी हो, बताया नहीं जाएगा । फर्म को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निवारक उपाय करने होंगे कि कोई भी यह न जान पाए कि कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण / परीक्षा उनके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जा रही है ।

(ii) बोलीदाता प्रचालनात्मक पहलू पर कोई उप-संविदा नहीं करेगा और परीक्षण के सुरक्षित एवं सुचारू रूप से संचालन के लिए पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा । तथापि, यदि अपेक्षित हो तो बोलीदाता भर्ती परीक्षण / परीक्षा से कम से कम चार सप्ताह पूर्व संघ लोक सेवा आयोग को

विधिवत रूप से सूचित करते हुए कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं अन्य सहायक उपकरणों को प्राप्त करने जैसे आवश्यक आधारभूत संरचना की व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं के साथ गठजोड़ कर सकता है ।

(iii) एजेंसी को सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा / भर्ती परीक्षण के आयोजन के लिए किराए पर लिए गए स्थल दो दिनों के लिए अर्थात् व्यवस्था वाले दिन तथा परीक्षा के संचालन वाले दिन के लिए होने चाहिएं और किसी तीसरे पक्ष की कोई परीक्षण / परीक्षा (ऑन लाइन / ऑफ लाइन) या अन्य कार्यकलाप दोनों दिनों के लिए किसी भी स्थल पर अनुसूचित नहीं की जानी चाहिए ।

42. **निर्धारित क्षतियां / शास्ति खंड:**

(i) यदि फर्म निविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार दायित्वों को पूरा करने में विफल रहती है तो संघ लोक सेवा आयोग कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि की जब्ती के अलावा भर्ती परीक्षण/ परीक्षा संबंधी कुल भुगतान के 100% की सीमा तक की शास्ति अधिरोपित कर सकता है ।

(ii) चयनित एजेंसी को विस्तृत कार्य क्षेत्र के बिन्दु संख्या 3 में यथावर्णित महत्वपूर्ण चरणों को कार्यान्वित करना अपेक्षित होगा जिसे वेंडर को समय सीमा के साथ प्रत्येक भर्ती परीक्षण (आर.टी.) के लिए उपलब्ध कराया जाएगा । यदि वेंडर प्रत्येक भर्ती परीक्षण / परीक्षा के लिए यथा निर्दिष्ट समय सीमा का अनुपालन करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो की गई देरी की अवधि के लिए प्रतिदिन आधार पर उस भर्ती परीक्षण (आर टी) / परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए कुल भुगतान का 1% की दर से शास्ति अधिरोपित की जाएगी । उस विशेष भर्ती परीक्षण/ परीक्षा के लिए अधिकतम शास्ति कुल भुगतान के 20% तक सीमित होगी । तदनुसार, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अगले चरण के लिए समय में कटौती कर दी जाएगी । यदि एजेंसी की वजह से

होने वाले विलम्ब के कारण भर्ती परीक्षण के आयोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो खंड 42 (i) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

43. **भुगतान शर्तें:**

(i) वेंडर द्वारा उद्धृत किए गए वर्ष-वार तथा यथा लागू कर के आधार पर उस विशेष भर्ती परीक्षण / परीक्षा के लिए जारी प्रवेश पत्रों की संख्या के लिए भुगतान किया जाएगा ।

(ii) फर्म द्वारा भर्ती परीक्षण / परीक्षा के सफल आयोजन तथा संघ लोक सेवा आयोग के सूचना प्रणाली स्कंध की संतुष्टि पर पूर्ण डेटा प्रदान किए जाने पर 75% भुगतान किया जाएगा ।

(iii) फर्म द्वारा डेटा के विश्लेषण, विसंगतियां यदि काई हों, में सुधार कर लिए जाने तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार आयोजित किए जाने के पश्चात अंतिम परिणाम घोषित किए जाने के बाद 25% भुगतान किया जाएगा ।

44. **अनिवार्य बाध्यता:**

फर्म अपने तर्कसंगत नियंत्रण से परे कार्यों को निपटाने में आने वाली बाधाओं जिसमें प्राकृतिक आपदाओं सहित युद्ध, दंगे, अवरोध, तालाबंदी, किसी सरकारी प्राधिकरण की कार्रवाई, लाइसेंस प्राप्त करने में हुई देरी या संविधियों के तहत आवेदन पत्रों की अस्वीकृति, विद्युत आपूर्ति में बाधा, दुर्घटना या विघटन, आग या बाढ़ भी शामिल है, या ऐसे कारणों से पैदा होने वाले किसी प्रभाव जिनमें फर्म का दुराशय प्रकट न होता हो,किन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी । एजेंसी जिनके लिए अनिवार्य बाध्यता के कारण इस संविदा मूल्य के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करना संभव नहीं तो उन्हें तत्काल उर्पयुक्त परिस्थितियों की शुरूआत तथा अंत के संबंध में लिखित रूप में आयोग को अधिसूचित करना होगा लेकिन किसी भी स्थिति में इस अवधि के शुरू होने से 10 (दस) दिन से अधिक नहीं होना चाहिए ।

45. **मध्यस्थता:**

संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म के बीच पैदा होने वाले किसी विवाद या मतभेद जो किसी परिणाम, अर्थ तथा प्रक्रिया या इस संविदा पर पड़ने वाले प्रभाव या संविदा भंग होने की स्थिति में विवाद का निपटान मध्यस्थता तथा समाधान अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म, दोनों पर बाध्यकारी होगा । मध्यस्थता का स्थल दिल्ली होगा ।

46. **क्षेत्राधिकार:**

मध्यस्थता के अध्यधीन उपर्युक्त के अलावा इस करार के कारण कोई वाद या कार्रवाई जो दोनों पक्षों में से किसी के भी अधिकार का हनन करती हो, दिल्ली में ही दायर की जाएगी और उस पर केवल दिल्ली के न्यायालय में ही न्यायिक जांच होगी और अन्य किसी न्यायालय में नहीं होगी और साथ ही, एतदद्वारा दोनों पक्ष ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने के प्रति स्वेच्छा से सहमत हैं ।

47. **समाप्ति खंड:**

संघ लोक सेवा आयोग संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय करार / संविदा को बिना कोई कारण बताए एजेंसी को एक माह का नोटिस देकर संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । संघ लोक सेवा आयोग के सचिव का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

48. **विस्तार खंड:**

यदि आयोग द्वारा यह निर्णय लिया जाता है, तो मौजूदा निबंधन एवं शर्तों पर तीसरे वर्ष की दर पर, एक वर्ष के लिए निविदा को बढ़ाया जा सकता है।

49. **फॉल क्लॉज:**

निम्नलिखित फॉल क्लॉज, सफल बोलीदाता के मामले में संविदा का एक हिस्सा होगी:-

(क) वेंडर द्वारा इस संविदा के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं के लिए वसूली गई कीमत, उस अवधि के दौरान जब तक कार्य पूरा न हो या संविदा की दर के चालू रहने के दौरान सारा कार्य आदेश पूरा नहीं हो जाता है, जैसा भी मामला हो, उस न्यूनतम मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए जिस पर वह वेंडर सेवा अथवा समान स्तर की सेवा [अर्थात् इस दस्तावेज़ के अनुबंध-I एवं II में यथावर्णित मूल क्षेत्र / कार्य के विवरण के अनुपालन हेतु सेवाएं] किसी अन्य व्यक्ति/ संगठन तथा क्रेता सहित या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग या केन्द्र या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी सांविधिक उपक्रम, जो भी स्थिति हो, को बेचता है या उपलब्धा कराने का प्रस्ताव करता है ।

(ख) यदि उक्त अवधि के दौरान किसी भी समय वेंडर अपना विक्रय मूल्य कम करता है, कम मूल्य पर अपनी सेवा किसी व्यक्ति / संगठन या केन्द्र / राज्य सरकार के विभाग या केन्द्र या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी सांविधिक उपक्रम को संविदा में उद्धृत दरों से कम मूल्य पर सेवाएं प्रदान करता है या प्रदान करने का प्रस्ताव करता है तो वह विक्रय में या विक्रय के प्रस्ताव में इस प्रकार की कटौती के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग को अधिसूचित करेगा और इस संविदा के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली बिक्री में कमी या बिक्री का प्रस्ताव तदनुसार कम हो जाएगा । उपर्युक्त शर्तें निम्न पर लागू नहीं होगी :-

(i) विक्रेता द्वारा किए गए निर्यात पर

(ii) निम्नतर मूल्य पर सेवाओं की बिक्री, बिक्री के पूर्ण होने की तारीख को या इसके पूर्ण होने के उपरान्त,संबंधित प्राधिकारी द्वारा मौजूदा या पूर्व दर संविदाओं के तहत् सेवाओं का आदेश देने के बाद, इसी प्रकार केन्द्र या राज्य सरकार के विभागों, उनके उपक्रमों सहित किन्तु संयुक्त क्षेत्रों की कम्पनियों और / या निजी पक्षकारों और निकायों को छोड़कर, के साथ किन्हीं पूर्व करारों के तहत किया गया करार ।

(ग) विक्रेता को संविदा दर के अनुसार की गई सेवा के प्रत्येक बिल के भुगतान के लिए उसके साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र भुगतान अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा । "हम प्रमाणित करते है कि इस संविदा [अर्थात् इस दस्तावेज के अनुबंध-I में यथाउल्लिखित मूल क्षेत्र/ कार्य के विवरण के अनुपालन हेतु सेवाएं] के अंतर्गत सरकार को प्रदान की जा रही ऐसी सेवाएं और उसी प्रकार की समरूप सेवाओं के लिए बिक्री मूल्य में कोई कटौती नहीं की गई है । मेरे/ हमारे द्वारा किसी व्यक्ति / संगठन, क्रेता सहित या केन्द्र / राज्य सरकार के किसी विभाग या केन्द्र / राज्य सरकार के अंतर्गत किसी सांविधिक उपक्रम, जो भी स्थिति हो, इस बिल की तारीख तक / इस संविदा दर के तहत दिए गए सभी आपूर्ति आदेशों के प्रति आपूर्ति को पूरा करने तक, सरकार से वसूली गई दर से कम कीमत पर इस प्रकार की सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है ।"

50. संविदा की व्यापक शर्तों का उल्लेख ऊपर किया गया है । यदि फर्म को यह संविदा मिलती है तब वेंडर को सं.लो.से.आ. के साथ एक करार (प्रति अनुबंध-V पर है) पर हस्ताक्षर करने होंगे ।

51. संघ लोक सेवा आयोग बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

52. निविदा सूचना सं. लो. से. आ. की वेबसाइट: **www.upsc.gov.in** पर भी उपलब्ध है ।

(आर.के. दीक्षित)
अवर सचिव (सामा.II)

अनुबंध-I

व्यापक कार्य क्षेत्र

संघ लोक सेवा आयोग नीचे सूचीबद्ध किए गए कुछेक या सभी 72 शहरों में आयोग द्वारा यथानिर्णित मामला दर मामला आधार पर कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण (सीबीआरटी) / परीक्षाओं के आयोजन का विचार रखता है । उपर्युक्त परीक्षण के आवेदक कम्प्यूटर शिक्षित होगें। ऐसे शहरों में परीक्षण का आयोजन इंटरानेट / लैन वातावरण के अंतर्गत होगा।

क्रम सं.	केन्द्र का नाम	क्रम सं.	केन्द्र का नाम	क्रम सं.	केन्द्र का नाम
1.	अगरतला	25.	गया	49.	नवी मुम्बई
2.	आगरा	26.	गाजियाबाद	50.	पणजी (गोवा)
3.	अहमदाबाद	27.	गोरखपुर	51.	पटना
4.	आईजोल	28.	गुडगांव	52.	पांडिचेरी
5.	अजमेर	29.	ग्वालियर	53.	पोर्ट ब्लेयर
6.	अलीगढ़	30.	हैदराबाद	54.	पुणे
7.	इलाहाबाद	31.	इम्फाल	55.	रायपुर
8.	अनन्तपुरमु	32.	इन्दौर	56.	राजकोट
9.	औरंगाबाद	33.	ईटानगर	57.	रांची
10.	बंगलौर	34.	जबलपुर	58.	सम्बलपुर
11.	बरेली	35.	जयपुर	59.	शिलांग
12.	भोपाल	36.	जम्मू	60.	शिमला
13.	बिलासपुर	37.	जोधपुर	61.	सिलिगुड़ी
14.	चन्डीगढ़	38.	जोरहाट	62.	श्रीनगर
15.	चेन्नई	39.	कोची (कोचीन)	63.	ठाणे
16.	कोयम्बटूर	40.	कोहिमा	64.	तिरूवन्नतपुरम

17.	कटक	41.	कोलकाता	65.	तिरूचिरापल्ली
18.	देहरादून	42.	कोझिकोड	66.	तिरूपति
19.	दिल्ली	43.	लखनऊ	67.	उदयपुर
20.	धारवाड़	44.	लुधियाना	68.	वाराणसी
21.	दिसपुर (गुवहाटी)	45.	मदुरई	69.	वेल्लोर
22.	फरीदाबाद	46.	मुम्बई	70.	विजयवाड़ा
23.	गंगटोक	47.	मैसूर	71.	विशाखापटनम
24.	गौतमबुद्ध नगर	48.	नागपुर	72.	वारंगल

नोट:- उपर्युक्त परीक्षण केन्द्रों की संख्या सूचनात्मक है । तथापि, उम्मीदवारों की संख्या पर आधारित परीक्षण केन्द्रों की संख्या में आयोग द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है ।

कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण / परीक्षा संबंधी प्रक्रिया को निम्नलिखित मॉडयूल में बांटा जाएगा:-

1. **परीक्षा-पूर्व कार्यकलाप :** आयोग द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए जाएंगे और केवल प्रवेश पत्र / ई-प्रवेश पत्र की नमूना प्रति तथा प्रवेश पत्र प्राप्त उम्मीदवारों के केन्द्र-वार / स्थल-वार विवरण और उनके फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर की सॉफ्ट प्रति को परीक्षण के आयोजन के लिए वांछित प्रारूप में एजेंसी को उपलब्ध कराया जाएगा:

(i) आवेदन पत्रों को प्राप्त करना ।

(ii) केंद्र-वार विवरण तैयार करना।

(iii) आवेदन पत्रों की संवीक्षा ।

(iv) उन केन्द्रों (शहरों/स्थलों) के संबंध में निर्णय लेना जहां सीबीआरटी / परीक्षा आयोजित की जाएगी ।

(v) अनुक्रमांक आबंटित करना ।

(vi) ई-प्रवेश पत्रों की अपलोडिंग ।

उपर्युक्त सभी परीक्षा-पूर्व कार्यकलाप आयोग द्वारा किए जाएंगे । उपर्युक्त 'घ' के संबंध में उन केंद्रों के लिए परीक्षण / परीक्षा स्थलों का निर्णय लेना जहां परीक्षा आयोजित की जानी है, जिसे केंद्र-वार विवरण के आधार पर आयोग द्वारा उल्लिखित एसओपी (मानक प्रचालन प्रक्रिया) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर एजेंसी द्वारा किया जाना है।

2. **परीक्षा का आयोजन:** चुनी गई एजेंसी द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए जाएंगे और वह कम्प्यूटरों का प्रयोग करते हुए भर्ती परीक्षण के सुचारू एवं निर्बाध आयोजन के लिए उत्तरदायी होगी ।

(i) उपर्युक्त पैरा-1 में वर्णित केंद्रों के अंतर्गत विशिष्ट परीक्षण / परीक्षा स्थलों जो उम्मीदवारों के ब्रेकअप पर निर्भर करेगा के बारे में निर्णय लेना । तथापि परीक्षण स्थल/ उपकेंद्र के चयन करने का अंतिम निर्णय आयोग का होगा।

(ii) एजेंसी के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह उम्मीदवारों की अधिकतम क्षमता उपलब्ध करवाए जिसके लिए वे पैरा-I में वर्णित केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन कर सके।

(iii) हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सहित पूर्ण आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना ।

(iv) प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर इंटरानेट आधारित समाधान द्वारा परीक्षा प्रक्रिया का प्रबंध करना।

(v) परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के लिए शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपेक्षित अनुदेश/ सूचना प्रदान करने के लिए अपेक्षित डिस्प्ले कार्ड की व्यवस्था करना / उपलब्ध करवाना ।

(vi) डिस्प्ले में विशेष लैब और लोकेशन में कितने उम्मीदवार बैठे हैं, प्रदर्शित होने चाहिएं।

(vii) परीक्षण / परीक्षा स्थलों के अंदर विश्वसनीय और आसान डेटा सुरक्षा, डेटा अंतरण एवं भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करना । डेटा को अद्यतन करने या फिर डेटा बेस सर्वर पर पहुंच का अधिकार साइट पर्यवेक्षक के पास नहीं होने चाहिए ।

(viii) प्रत्येक स्थल पर स्वचालित एवं त्रुटिरहित (फेलसेफ) पूर्ण बैक अप सहित पूर्ण यू पी एस सुविधा सुनिश्चित करना ।

(ix) सर्वर रूम में वातानुकूलन सुविधा तथा पर्याप्त वातानुकूलन सुविधा अधिमानत: ए सी सभी लैब में मुहैया कराना है ।

(x) कम से कम दो विभिन्न सेवा प्रदाता से इन्टरनेट सुविधा जैसे लीज लाइन / ब्रॉडबैंड / डेटाकार्ड मुहैया कराना ।

(xi) त्रुटि रहित (फेलसेफ) और सिक्योर्ड लैन संस्थापित करना जो प्रत्येक स्थल में आस-पास के क्षेत्र के अन्य कम्प्यूटरों से अलग हो और लैन उपस्कर तथा संसाधनों के पर्याप्त बैक अप के साथ हो ।

(xii) प्रत्येक स्थल पर सभी साफ्टवेयर के साथ कलस्टर मोड / हॉट स्वैपेवल मोड में बैक अप सर्वर मुहैया करना और इसे आवश्यकता की स्थिति में प्रयोग के लिए तैयार रखना।

(xiii) परीक्षा से एक दिन पहले आयोग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में पूर्ण एवं व्यापक मॉक ड्रिल करना सुनिश्चित करना तथा परीक्षण के सफल आयोजन का प्रमाण पत्र प्रदान करना कि लैन संयोजकता सहित पूर्ण हाईवेयर एवं सॉफ्टवेयर, बिना किसी तकनीकी व्यवधान एवं बग्स के संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है और ए सी, पावर बैकअप आदि सहित सभी बैकअप सुविधाएं सुव्यवस्थित हैं ।

(xiv) यह सुनिश्चित करना कि परीक्षण के दौरान प्रत्युत्तर मार्क करने के लिए अपेक्षित साफ्टवेयर को छोड़कर उपलब्ध की-बोर्ड एवं अन्य हार्डवेयर जैसे पोर्ट, सी डी / डी वी डी आदि निष्क्रिय कर दिए गए हैं।

(xv) यह सुनिश्चित करना है कि बैक अप सहित सभी टर्मिनल एवं सर्वर वायरसमुक्त / पूरी तरह से सुरक्षित होंगे और परीक्षण के शुरू होने के पहले इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(xvi) आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार परीक्षण / परीक्षा शुरू होने से काफी समय पहले परीक्षण के लिए उपस्थित होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार का एकदम सही पंजीकरण सुनिश्चित करना । पंजीकरण के समय वेबकैम पर लिए गए उम्मीदवार के फोटोग्राफ़ का उस फोटोग्राफ़ से मिलान करना चाहिए जो उम्मीदवार साथ लेकर आया है तथा उसकी

बायोमीट्रिक सूचना कैप्चर तथा स्टोर करनी चाहिए, जिसे आयोग द्वारा भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है ।

(xvii) टर्मिनल नं. जिस पर उम्मीदवार को भर्ती परीक्षण / परीक्षा देना होगा, वह पंजीकरण के समय यादृच्छिक आधार पर आबंटित किया जाएगा ।

(xviii) सुरक्षित परिवेश में आयोग से प्राप्त प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रूप से इंस्टाल एवं कार्यान्वित करना ।

(xix) पर्याप्त पासवर्ड सुरक्षा के अंतर्गत इंक्रिप्टेड मोड के माध्यम से संवेदनशील आंकड़ों के अंतरण की स्टोरिंग सुनिश्चित करना । इन आंकड़ों का रख-रखाव आयोग द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा ।

(xx) आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार कड़ाई से संवेदनशील आंकड़ों का अंतरण करना ।

(xxi) आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक स्थल पर सी बी आर टी / परीक्षा के आयोजन का पर्यवेक्षण, निरीक्षण और तकनीकी प्रचालन के लिए संबंधित एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। तथापि, आयोग भर्ती परीक्षण के सुचारू एवं निष्पक्ष आयोजन को देखने एवं मॉनीटर करने के लिए प्रत्येक स्थल पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है ।

(xxii) आयोग की निम्नलिखित अपेक्षानुसार निरीक्षक, तकनीकी स्टाफ, पर्यवेक्षक तथा अन्य स्टाफ मुहैया कराना :

क्रम सं.	तकनीकी / गैर- तकनीकी स्टाफ	अपेक्षित स्टाफ
1.	निरीक्षक	लैब / कमरे में न्यूनतम दो सहित 24 उम्मीदवारों के लिए दो
2.	साइट सुपरवाइजर	एक
3.	सहायक सुपरवाइजर	प्रति स्थल दो

(xxiii) भर्ती परीक्षण / परीक्षा से संबंधित सभी कार्मिकों को आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में समुचित समय पर यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनका कोई भी नजदीकी रिश्तेदार उपर्युक्त परीक्षण में शामिल नहीं हो रहा है।

(xxiv) प्रतिरूपण की जांच के लिए एजेंसी को परीक्षा अवधि के दौरान टर्मिनल की स्क्रीन पर फोटो सहित उम्मीदवार के वैयक्तिक विवरण जैसे अनुक्रमांक एवं नाम मुहैय्या कराना होगा ।

(xxv) एजेंसी को उम्मीदवारों की लगातार निगरानी एवं रिकार्डिंग के लिए प्रत्येक स्थल पर समुचित संख्या में वेब-कैम / सी सी टी वी स्थापित करने की व्यवस्था करनी होगी ताकि परीक्षण / परीक्षा के दौरान लैब में सभी उम्मीदवारों की रिकार्डिंग को पूरी तरह से कवर किया जा सके । एजेंसी को भर्ती परीक्षण / परीक्षा की समाप्ति के बाद सभी रिकार्डिंग आयोग को उपलब्ध करानी होगी ।

(xxvi) एजेंसी को मॉनीटरिंग कंसोल पर सभी स्थलों की परीक्षा से संबंधित कार्य कलापों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए सं.लो.से.आ. के नियंत्रण कक्ष पर प्रबंध करना होगा ।

(xxvii) जब भी आवश्यक हो, केंद्र पर आयोग की अपेक्षानुसार शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों (अस्थि विकलांग, दृष्टि बाधित या श्रवण बाधित) की व्यवस्था के लिए एजेंसी उत्तरदायी होगी। जिन केन्द्रों पर इस सुविधा की आवश्यकता है, एजेंसी को अग्रिम रूप से सूचित कर दिया जाएगा। तथापि, फर्म को प्रत्येक केन्द्र पर कम से कम एक अनुकूल स्थल शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं निर्दिष्ट करनी होंगी:-

क. प्रत्येक केन्द्र पर शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए विकलांगों के अनुकूल वातावरण सहित अधिमानत: भूतल पर स्थल मुहैय्या कराना ।

ख. शहरों के सभी भागों से अच्छी तरह जुड़ा हो और वहां पर आसानी से पहुंचा जा सके ।

ग. सुलभ सुविधाएं जैसे हैंड रेलस, लो फ्लोर सीढी सहित रैम्प ।

घ. समुचित चेतावनी संकेतक ।

ङ. स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता ।

च. व्हील चेयर की सुविधा ।

(xxviii) परीक्षा प्रक्रिया के दौरान सभी उम्मीदवारों की सभी कार्यकलापों के ऑडिट ट्रेल का अनुरक्षण करना तथा परीक्षा की समाप्ति के 5 दिनों के भीतर आयोग को उक्त सामग्री, पठनीय रूप में मुहैया करानी होगी ।

3. **सी बी आर टी / परीक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण चरण:-**

(i) वेंडर द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को ऑन लाइन भर्ती परीक्षण के आयोजन के लिए स्थलों की अंतिम सूची मुहैया कराना जो केन्द्र-वार सूची पर आधारित होगी।

(ii) वेंडर द्वारा संबंधित भर्ती परीक्षण के लिए प्रोसेस मैन्युअल तथा आयोजित की जाने वाले भर्ती परीक्षण के लिए डेमो टेस्ट फाइल मुहैया कराना ।

(iii) वेंडर द्वारा अपेक्षित फार्मेट में भर्ती परीक्षण की समाप्ति के बाद परीक्षा डेटा अंतरित करना ।

(iv) वेंडर द्वारा साक्षात्कार के समय बायो-मैट्रिक सुविधा के जरिए उम्मीदवारों का सत्यापन करना।

4. प्रश्न बैंक एवं प्रश्न पत्रों का प्रेषण:

प्रश्न बैंक एवं प्रश्न पत्रों के प्रश्नों पत्रों के प्रेषण से संबंधित सभी कार्यकलाप आयोग द्वारा निष्पादित किए जाएंगे । एजेंसी को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उपयुक्त समय पर शामिल किया जाएगा:-

(i) आयोग के परामर्श से एजेंसी निर्धारित योजना के अनुसार प्रक्रियाओं, आधारभूत संरचना, सर्वरों, नेटवर्क, वी पी एन कनेक्शनों आदि की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करेगी ।

(ii) एजेंसी को परीक्षा-पूर्व एवं परीक्षा पश्चात सभी कार्यकलापों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) का अनुपालन करना होगा ।

(iii) एजेंसी प्रश्न पत्र का संलेखन उपकरण (आथरिंग टूल) प्रदान करेगा जो 256 बिट इंक्रिप्शन के साथ प्रश्न पत्रों की शुरू से लेकर अंत तक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा ।

(iv) प्रश्न-बैंक तैयार करने का उत्तरदायित्व आयोग के पास रहेगा।

(v) एजेंसी, प्रश्न पत्र के प्रारूप के साथ अपेक्षित यूज़र फ्रेन्डली सॉफ्टवेयर एवं क्रिया विधि प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी । यह सॉफ्टवेयर, एजेंसी द्वारा सुरक्षित कम्प्यूटर सिस्टम / सर्वर में संस्थापित करना होगा जिसे आयोग कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा । यदि अपेक्षित हो, तो एजेंसी को प्रश्न पत्र के रख-रखाव के संबंध में डमी ड्रिल के साथ उपयुक्त के संबंध में प्रशिक्षण देना होगा । यह कार्य आयोग द्वारा प्रश्न-पत्र तैयार करने से पर्याप्त समय पहले पूरा करना होगा।

(vi) उम्मीदवारों को दिए जाने वाले प्रश्न पत्र में उत्तर विकल्प के साथ-साथ प्रश्नों को फेरबदल (शफल) करने की सुविधा साफ्टवेयर में होनी चाहिए ताकि किन्हीं दो उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र के समान सैट नहीं मिल पाएं ।

(vii) क्यू पैक के अंतरण और उम्मीदवारों को इसके वितरण के तौर तरीके का निर्धारण आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियानुसार चयनित एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

(viii) एजेंसी को प्रत्येक भर्ती परीक्षण / परीक्षा के आयोजन से पहले 25 दिनों के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए संगत सी बी आर टी / परीक्षा के लिए डेमो फाइल (मॉक टेस्ट) द्विभाषी या अंग्रेजी में मुहैया करानी होगी । मॉक टेस्ट आयोजित किए जाने वाले भर्ती परीक्षण / परीक्षा के टेम्प्लेट पर तथा आयोग की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए ।

(ix) एजेंसी को निरीक्षण अधिकारियों के प्रयोग हेतु भर्ती परीक्षण / परीक्षा की तारीख से पहले 15 दिनों के भीतर संगत सी बी आर टी / परीक्षा का विस्तृत प्रोसेस मैन्युअल मुहैया करना होगा।

5. **परीक्षा पश्चात प्रक्रिया :**

(i) जैसे ही भर्ती परीक्षण समाप्त होता है, एजेंसी को समुचित 'लॉग फाइलों' (पठनीय प्रारूप में) सहित समग्र आंकड़ों का अंतरण, पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण में, इंक्रिप्टेड रूप में, आयोग को करने की व्यवस्था करनी होगी ।

(ii) एजेंसी तब आयोग द्वारा इच्छित तथा परस्पर निर्णय के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी। रॉ स्कोरिंग एजेंसी द्वारा की जाएगी जो उत्तर कुंजी पर आधारित होगी जिसे परीक्षा की समाप्ति के पश्चात आयोग द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(iii) एजेंसी द्वारा रिपोर्ट सहित उपर्युक्त यथाउल्लिखित समग्र आंकड़े उसी दिन 'सिक्योर्ड मोड' में आयोग को अंतरित करने होंगे ।

(iv) एजेंसी, परीक्षण की समाप्ति के पश्चात् दो दिन के भीतर आयोग को वर्तमान उपस्थित उम्मीदवारों की सूची सहित पंजीकरण विवरण भी अंतरित करेगी।

(v) आयोग, परीक्षोपरान्त आगे की कार्यवाही अर्थात् परिणाम की घोषणा आदि के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(vi) एजेंसी, यदि अपेक्षित हो तो, प्रत्येक उम्मीदवार के द्वारा प्रयास किए गए प्रत्युत्तर सहित परीक्षा के प्रश्न-पत्र के ई-मेलिंग के लिए साफ्टवेयर / सुविधा मुहैया कराएगी।

(vii) परिणाम की प्रोसेसिंग करते समय आयोग द्वारा यदि कोई विसंगति नज़र आती है, तो एजेंसी को उसका समाधान तात्कालिक आधार पर करना होगा ।

टिप्पणी:-

1. एजेंसी, प्रत्येक परीक्षण / परीक्षा आयोजित किए जाने के पश्चात, आर टी आई आदि का निपटान करने के लिए संगत डेटा तथा सहायता सहित दस्तावेजी इनपुट सं.लो.से.आ. को मुहैया कराएगी।

2. एजेंसी कार्यान्वयन करने से पहले आयोग को टेस्ट डेटा सहित टेस्ट रन की पूर्ण प्रणाली को प्रस्तुत / प्रदर्शित करेगी ।

3. एजेंसी को, आवेदन पत्रों में सृजित होने वाली समस्त त्रुटियों, चेतावनियों और अपवादों को जिस समय वे होते है, उन्हें कैप्चर करने हेतु एप्लीकेशन/ सर्वर लॉग्स को भी प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए ।

अनुबंध-I क

ऑन लाइन परीक्षा केन्द्रों की सूची

क्रम सं.	शहर का नाम	क्रम सं.	शहर का नाम
1.	अहमदाबाद	22.	जम्मू
2.	इलाहाबाद	23.	चंडीगढ़ / मोहाली
3.	बैंगलूरू	24.	पणजी
4.	भोपाल	25.	पोर्ट ब्लेयर
5.	मुम्बई	26.	धारवाड़
6.	कोलकाता	27.	मदुरई
7.	कटक	28.	रांची
8.	दिल्ली	29.	गंगटोक
9.	दिसपुर/ गुवाहाटी	30.	कोहिमा
10.	हैदराबाद	31.	इम्फाल
11.	जयपुर	32.	अगरतला
12.	चेन्नई	33.	जोरहाट
13.	नागपुर	34.	आईजोल
14.	देहरादून	35.	ईटानगर
15.	पटना	36.	रायपुर
16.	शिलांग	37.	तिरूपति
17.	शिमला	38.	विशाखापटनम
18.	श्रीनगर	39.	उदयपुर
19.	तिरूवनन्तपुरम	40.	सम्बलपुर
20.	एर्नाकुलम	41.	बरेली
21.	लखनऊ		

अनुबंध-II

कार्य-क्षेत्र के संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट

हम (फर्म का नाम)---------- नि.आ.सू. के अनुसार

तकनीकी अनुपालन रिपोर्ट एतद्वारा प्रस्तुत करते हैं :-

क्रम	विवरण	अनुपालन रिपोर्ट (हां या नहीं का उल्लेख करें)	पृष्ठ
1.	हम कार्य-क्षेत्र (अनुबंध-I) और नि.आ.सू. की अन्य निबंधन एवं शर्तों के संबंध में बोलीदाताओं द्वारा की जाने वाली मदों की स्वाकार्यता एवं समझ की पुष्टि करते हैं ।		
2.	उन उम्मीदवारों की संख्या जिनके लिए कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण / परीक्षा एक साथ आयोजित की गई थी, दर्शाई गई है ।		
3.	कार्यक्षेत्र के अनुबंध- I में उल्लिखित केंद्रों (कुल 41) के अनुसार परीक्षण नोड की अधिकतम क्षमता का विवरण संलग्न है।		
4.	हम यह पुष्टि करते हैं कि फर्म नि.आ.सू. में सूचीबद्ध सभी केंद्रों में कार्यक्षेत्र के अनुसार कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण/ परीक्षा आयोजित कर सकती है।		
5.	एजेंसी, आयोग के परामर्श से निर्धारित योजना के अनुसार प्रक्रियाओं, आधारभूत संरचना, वी पी एन कनेक्शन आदि की पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है।		
6.*	सभी स्थलों पर उपलब्ध कराए जाने वाले लैन बैक-अप उपस्कर सहित सिक्योर्ड लैन प्रणाली और वी पी एन कनेक्शन का विवरण प्रस्तुत किया गया है ।		
7.*	संघ लोक सेवा आयोग के नियंत्रण कक्ष से उम्मीदवारों के कार्यकलापों की निरंतर निगरानी रखने के लिए प्रत्येक लैब में संस्थापित किए जाने वाले वेब-कैमरों / सीसीटीवी का विवरण प्रस्तुत किया गया है।		
8.*	प्रत्येक उम्मीदवार का फोटो कैप्चर करने, बायो-मीट्रिक सूचना लेने की सुविधाओं सहित पंजीकरण काउंटर का विवरण । प्रति काउंटर उम्मीदवारों की संख्या का भी उल्लेख किया जाए।		
9.*	सुरक्षित परिवेश में वी पी एन द्वारा आंकड़ों को स्टोर करने और आंकड़ों के अंतरण से संबंधित विस्तृत क्रियाविधि का उल्लेख किया गया है ।		

10.*	कार्य क्षेत्र में यथा परिभाषित परीक्षण-पूर्व कार्यकलापों के संदर्भ में प्रदान की जाने वाली विस्तृत क्रियाकलाप का विवरण दर्शाया गया है ।		
11.*	कार्य क्षेत्र के संदर्भ में वी पी एन संयोजकता के माध्यम से प्रश्न पत्रों को तैयार करने एवं प्रेषण के लिए विस्तृत क्रिया-कलाप के विवरण का उल्लेख किया गया है ।		
12.	एजेंसी, परीक्षा की समाप्ति के बाद उम्मीदवारों के सभी क्रिया कलापों के ऑडिट ट्रेल सहित सभी आंकड़े आयोग को उपलब्ध कराएगी ।		
13.	एजेंसी, संघ लोक सेवा आयोग के नियंत्रण कक्ष में सभी परीक्षा स्थलों पर परीक्षा संबंधी क्रिया कलापों पर निगरानी तथा पर्यवेक्षण करने की व्यवस्था केंद्रीयकृत मानिटरिंग कन्सोल के माध्यम से करेगी ।		
14.	हम यह पुष्टि करते हैं कि परीक्षा स्थल दो दिनों के लिए अर्थात् व्यवस्था वाले दिन के लिए तथा परीक्षा के आयोजन वाले दिन के लिए बुक किया जाएगा तथा तीसरे पक्ष की कोई भी परीक्षा / परीक्षण (ऑन लाइन/ ऑफ लाइन) या अन्य गतिविधि परीक्षा/ परीक्षण की तारीख के अनुसार दोनों दिनों के लिए निश्चित नहीं की गई है।		
15.	हम यह पुष्टि करते है कि साफ्टवेयर द्विभाषी प्रश्न पत्र पैक तैयार करने में सक्षम है।		
16.	हम यह पुष्टि करते हैं कि फर्म कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण / परीक्षा के आयोजन के लिए आई एस ओ 9001 तथा आई एस ओ 27001 प्रमाणित है ।		

*बोलीदाता को अलग शीट पर संदर्भ पृष्ठ संख्या सहित सभी अपेक्षित विवरण प्रदान करना चाहिए ।

निविदा दस्तावेजों की शर्तों के संदर्भ में कार्यकलापों / कार्य-क्षेत्र में निम्नलिखित विचलन हैं :-

दिनांक :	**हस्ताक्षर :**
फर्म का नाम :	
कम्पनी की मुहर :	

अनुबंध-II क

हम (फर्म का नाम) ..... एतद् द्वारा उन केन्द्रों की सूची प्रस्तुत करते हैं जहॉ हमने विगत 05 (पांच) वर्षों के दौरान एक ही समय (सिंगल स्लॉट) में सी बी आर टी का सफलतापूर्वक आयोजन किया है :-

क्रम सं.	केन्द्र का नाम	आवेदकों की सं.	समर्थित दस्तावेज (हॉ या नहीं)	पृष्ठ सं.
1.	अहमदाबाद			
2.	इलाहाबाद			
3.	बैंगलूरू			
4.	भोपाल			
5.	मुम्बई			
6.	कोलकाता			
7.	कटक			
8.	दिल्ली			
9.	दिसपुर/ गुवाहाटी			
10.	हैदराबाद			
11.	जयपुर			
12.	चेन्नई			
13.	नागपुर			
14.	देहरादून			
15.	पटना			
16.	शिलांग			
17.	शिमला			
18.	श्रीनगर			
19.	तिरूवनन्तपुरम			
20.	एर्नाकुलम			
21.	लखनऊ			
22.	जम्मू			
23.	चंडीगढ़ / मोहाली			
24.	पणजी			
25.	पोर्ट ब्लेयर			

26.	धारवाड़			
27.	मदुरई			
28.	रांची			
29.	गंगटोक			
30.	कोहिमा			
31.	इम्फाल			
32.	अगरतला			
33.	जोरहाट			
34.	आईजोल			
35.	ईटानगर			
36.	रायपुर			
37.	तिरूपति			
38.	विशाखापटनम			
39.	उदयपुर			
40.	सम्बलपुर			
41.	बरेली			

<u>अनुबंध–III</u>

कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण / परीक्षा के आयोजन के लिए निविदा आमंत्रण सूचना :-

आपके दिनांक ----------के नि.आ.सू. के प्रत्युत्तर में हमने ----------(फर्म का नाम एवं पता) सं.लो.से.आ. द्वारा आयोजित की जाने वाली ऑन लाइन भर्ती परीक्षण आयोजन के लिए तकनीकी एवं वित्तीय बोली प्रस्तुत की है । नि.आ.सू. के अंतर्गत यथा अपेक्षित जानकारी हम एतद्ददद्वारा निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं:-

1. कि हमें निविदा की सभी निबंधन एवं शर्तें स्वीकार्य हैं ।
2. कि मुझे / हम लोगों को तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आयकर / धन को छिपाने के लिए न तो दंडित किया गया है और न दोषी पाया गया है ।
3. कि हम नि.आ.सू. में निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र को पूरी तरह समझते हैं और हमारी बोली पूर्णत: कार्य क्षेत्र के अनुसार है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

फर्म / बोलीदाता का नाम एवं पता

अनुबंध-III क

वचनबंध

हम ---------- (फर्म का नाम) शपथपूर्वक पुष्टि करते है कि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुबंध–I क में यथाउल्लिखित 41 केन्द्रों पर सिंगल स्लोट में न्यूनतम 50,000 उम्मीदवारों के लिए सी बी आर टी आयोजित करने की क्षमता रखते है और हम इसका आयोजन करेंगे

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

फर्म / बोलीदाता का नाम एवं पता

फोन सं. ----------

अनुबंध-IV

मूल्य अनुसूची

सी बी आर टी / परीक्षा के लिए:

क्रम सं.	मद का विवरण	प्रथम वर्ष (वाई 1) के लिए प्रति उम्मीदवार दर	द्वितीय वर्ष (वाई 2) के लिए प्रति उम्मीदवार दर	तृतीय वर्ष (वाई 3) के लिए प्रति उम्मीदवार दर	निविदा की तारीख को यथालागू कर की प्रभावी दर % में	एन पी वी (कर रहित)
1.	50,000 उम्मीदवारों (लगभग) तक के लिए सी बी आर टी का आयोजन					
2.	**आयोग के कोविड-19 दिशा-निर्देश का कार्यान्वयन					

** संघ लोक सेवा आयोग के कोविड-19 दिशा-निर्देश की प्रति अनुबंध- IV क पर है । कोविड-19 दरें केवल तभी प्रचालन में आएंगी जब आयोग इसकी अपेक्षा करेगा ।

1. प्रथम वर्ष की शुरूआत संविदा प्रदान किए जाने की तारीख से होगी ।
2. दरें केवल भारतीय रूपये में उद्धृत की जाएंगी ।
3. दरें "प्रति उम्मीदवार प्रति पेपर, जिन्हें ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा" के आधार पर उद्धृत की जाएंगी और नि.आ.सू. में निर्दिष्ट सभी केन्द्रों पर सिस्टम को लाने ले जाने एवं संस्थापित करने से संबंधित सभी प्रभार इसमें शामिल होंगे ।
4. कर प्रति उम्मीदवार प्रति प्रश्न पत्र जिन्हें प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा पर आधारित सहित अलग से उद्धृत किया जाएगा ।

5. बोलीदाता द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की लागत को छोड़कर सी बी आर टी (मूल्य अनुसूची का क्रम सं. 1) के आयोजन के लिए अनिवार्य रूप से आधार दर उद्धृत की जाएंगी । संघ लोक सेवा आयोग के कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए दरें, मूल्य अनुसूची के क्रम सं. 2 पर अलग से उदधृत की जाएंगी । एल-1 सीबीआरटी (मूल्य अनुसूची के क्रम सं. 1) के आयोजन के लिए बेस रेट के आधार पर तय किया जाएगा ।

6. एन पी वी (कुल वर्तमान मूल्य) की गणना 10% वार्षिक बट्टे की दर पर की जाएगी । एल-1 फर्म का निर्णय करने के लिए की जाने वाली गणना का विवरण निम्नानुसार है :-

एन पी वी = {वाई1+वाई 2 / (1+ 0.1) + वाई 3 / $(1+ 0.1)^2$}

[एन पी वी= कुल वर्तमान मूल्य; वाई 1= प्रथम वर्ष के लिए उद्धृत की गई दर; वाई 2= द्वितीय वर्ष के लिए उद्धृत की गई दर तथा वाई 3=तृतीय वर्ष के लिए उद्धृत की गई दर]

एन पी वी का उदाहरण:

(i) यदि वाई 1 = 150, वाई 2= 200 तथा वाई 3 = 240, तब एन पी वी की गणना निम्नानुसार होगी :-

एन पी वी = 150+ (200 / 1.1) + (240 / 1.21)

= 150+ 181.82 + 198.35

= 530.17

अत: एन पी वी 530.17 रूपए है ।

(ii) यदि वाई 1 = 300, वाई 2= 250 तथा वाई 3 = 200, तब एन पी वी की गणना निम्नानुसार होगी :-

एन पी वी = 300+ (250 / 1.1) + (200 / 1.21)

= 300+ 227.27 + 165.29

= 692.56

अत: एन पी वी 692. 56 रूपए है ।

7. एल-1 वेंडर का चयन एन पी वी सहित निविदा की तारीख को लागू, करों के आधार पर किया जाएगा । भुगतान, वेंडर द्वारा उद्धृत की गई वर्ष-वार दर सहित उस विशेष भर्ती परीक्षण / परीक्षा के लिए जारी प्रवेश पत्रों की संख्या के लिए यथा लागू करों के आधार पर किया जाएगा ।

8. यदि परीक्षण / परीक्षा एक से ज्यादा सत्र में आयोजित की जाती है तो भुगतान उम्मीदवारों को जारी प्रवेश पत्र गुणा सत्र की संख्या के आधार पर किया जाएगा ।

दिनांक : हस्ताक्षर

फर्म का नाम :

कंपनी की मोहर :

<u>कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सं.लो.से.आ. की सीबीआरटी परीक्षाओं के संचालन के लिए पर्यवेक्षकों / वेंडरो / निरीक्षकों और परीक्षा से जुड़े अन्य कार्य-अधिकारियों के समन्वय के लिए दिशानिर्देश</u>

क. <u>परिसर का सेनेटाईजेसन</u>

1. निम्नलिखित जगहों सहित परिसर के सभी क्षेत्रों को व्यवस्था के दिन यानी परीक्षा से एक दिन पूर्व उपयोगकर्ता के अनुकूल कीटाणुनाशक माध्यमों का उपयोग करके पूरी तरह से सेनेटाईज किया जाएगा:

- प्रवेश द्वार
- परीक्षा कमरे, मेज, कुर्सियां आदि
- वाशरूम / शौचालय, वाश बेसिन, पानी के प्वाईंटस आदि।
- उपकरण और लिफ्ट, यदि कोई हो।

ख. <u>उम्मीदवारों का प्रवेश</u>

2. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा शुरू होने से पर्याप्त समय पहले ही स्थल पर आ जाएं।

3. स्थल का प्रवेश द्वार केंद्र के प्रमुख और तकनीकी टीम के लिए परीक्षा शुरू होने से कम से कम तीन घंटे तीस मिनट पहले और उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुरू होने से एक घंटा तीस मिनट पहले खोला जाएगा।

4. स्थल में प्रवेश करने के बाद, उम्मीदवार सीधे अपने संबंधित परीक्षा कक्ष / हॉल में जाएंगे और परिसर में किसी की प्रतीक्षा / इधर उधर घूमना आदि न करके अपनी आबंटित सीटों पर बैठेंगे। वे परिसर में किसी भी स्थान पर इकट्ठा नहीं होंगे।

5. पुलिस कर्मी / स्टाफ यह सुनिश्चित करेंगे कि उम्मीदवार परीक्षा स्थल में प्रवेश करते समय और अपने आबंटित परीक्षा कक्षों / हॉलों में जाने के दौरान सामाजिक दूरी मानदंडों का पालन करें।

6. कमरों के लिए नियुक्त किए गए निरीक्षकों में से एक निरीक्षक परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटे पहले अपने-अपने कमरे में मौजूद होगा और यह देखेगा कि उम्मीदवार अपनी आबंटित सीट पर बैठें तथा कमरे में इधर- उधर न घूमें।

7. कंप्यूटर आधारित परीक्षा / भर्ती परीक्षण के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले परीक्षा स्थल में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इस संबंध में मौजूदा प्रावधान में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

8. सम्पूर्ण स्थल के लिए सीटिंग योजना को पर्याप्त संख्या में परन्तु पांच से कम नहीं प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जो उम्मीदवारों के जमावड़े से बचने के लिए परीक्षा स्थल के प्रमुख स्थानों पर होगा ।

9. परीक्षा के दौरान परिसर के अंदर तथा बाहर सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा।

ग. <u>उम्मीदवारों की तलाशी</u>

10. शारीरिक संपर्क से बचने के लिए, उम्मीदवारों की फ्रिस्किंग समाप्त कर दी गई है। हालांकि, गेट पर उम्मीदवारों के प्रवेश के दौरान, एक सहायक पर्यवेक्षक को घोषणा करनी होगी, जिसे समय-समय पर दोहराया जाएगा, जब तक कि गेट बंद नहीं हो जाते, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली घोषणा में निम्न सूचना दी जाएगी, कि:

"बैग, मोबाइल फोन, आई.टी. गैजेट्स, कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अन्य संचार उपकरण, लाइटर / माचिस की डिब्बी तथा कीमती सामान या महंगी वस्तुओं को उस परिसर के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है। इन निर्देशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भविष्य में परीक्षाओं पर प्रतिबंध और पुलिस एफआईआर दर्ज करना शामिल है। इस तरह की वस्तुओं को सुरक्षित रखने का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता तथा इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए आयोग को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। "

घ. <u>बैठने की व्यवस्था</u>

11. वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि कंप्यूटर कक्ष में बैठने की व्यवस्था सरकार के सामाजिक दूरी के मानदंड के अनुरूप होगी। उम्मीदवारों को एक दूसरे से कम से कम 6 फीट (2 गज) की दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होगी ।

यदि कोई भी अभ्यर्थी सामाजिक दूरी के कारण बैठने की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है और अपनी सीट बदलने के लिए अनुरोध करता है, तो निम्नलिखित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा :

• उम्मीदवार प्रत्येक सत्र में परीक्षा शुरू होने से पांच मिनट पहले तक कक्ष / हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग फैक्टर के कारण सीट को बदलने के लिए अनुरोध कर सकता है।

• इस संबंध में, उम्मीदवार से प्रारूप के अनुसार (अनुबंध) एक वचनबंध प्राप्त किया जाएगा।

• इस तरह के अनुरोध प्राप्त होने पर, कक्ष / हॉल में मौजूद निरीक्षक द्वारा सामाजिक दूरी के मानदंड को बनाए रखते हुए उम्मीदवारों को अन्य कंप्यूटर नोड पर समायोजित किया जाएगा ।

• ऐसे सभी उदाहरणों में निरीक्षण में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी।

• इस मामले में वेंडर, ऐसे सभी उम्मीदवारों से प्राप्त सभी वचनबंधों के साथ अपनी रिपोर्ट अवर सचिव, ईआईए-आर, सं.लो.से.आ., धौलपुर हाउस, नई दिल्ली को भेजेगा। परीक्षा के दिन रिपोर्ट की एक प्रति नियंत्रण कक्ष, सं.लो.से.आ. को भी भेजी जा सकती है।

12. यदि यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार को छींकने या खांसने या सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो मामला वेंडर के ध्यान में लाया जाएगा। वेंडर ऐसे उम्मीदवारों के बैठने की व्यवस्था अलग से करेंगे। वेंडर ऐसे सभी उम्मीदवारों से प्राप्त सभी वचनबंधों के साथ अपनी रिपोर्ट अवर सचिव, ईआईए-आर, सं.लो.से.आ., धौलपुर हाउस, नई दिल्ली को भेजेगा। सं.लो.से.आ. के नियंत्रण कक्ष को परीक्षा के दिन ही इन सब बातों की जानकारी दी जानी है।

ड. <u>मास्क पहनना</u>

13. परीक्षा से जुडे सभी कर्मचारियों के साथ-साथ उम्मीदवारों के लिए भी मास्क पहनना / चेहरा ढकना अनिवार्य है।

14. उम्मीदवारों को परिसर में प्रवेश के समय उनकी पहचान की जांच और पुष्टि करने के लिए और परीक्षा पदाधिकारियों द्वारा उम्मीदवारों के विवरण के सत्यापन के समय या जब भी आवश्यक हो, मास्क हटाने के लिए कहा जा सकता है।

च. <u>उम्मीदवारों की उपस्थिति</u>

15. पंजीकरण डेस्क पर किसी उम्मीदवार के पंजीकरण के बाद हर बार बायो-मीट्रिक मशीन को सेनेटाइज करने की व्यवस्था की जाएगी।

छ. <u>हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क और दस्ताने का प्रावधान</u>

16. वेंडर परीक्षा से जुड़े प्रत्येक कर्मचारियों के उपयोग के लिए हैंड सैनिटाइज़र की 50 मिलीलीटर की बोतल, फेस मास्क (3 प्लाई मास्क) और मानक गुणवत्ता के दस्ताने का प्रावधान करेगा।

17. वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक सत्र में परीक्षा स्थल में प्रवेश करने से पहले उम्मीदवारों के हाथों को सेनेटाइज कराने के लिए गेट के प्रवेश द्वार पर पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइज़र हो। इस काम के लिए कर्मचारी तैनात किए जा सकते हैं।

18. वेंडर यह भी सुनिश्चित करेगा कि आबंटित उम्मीदवारों के 10% के हिसाब से फेस मास्क (3 प्लाई मास्क) उपलब्ध हों ताकि जिन उम्मीदवारों के पास चेहरे को ढकने के लिए फेस मास्क या कपडा न हो उन्हें प्रदान किया जा सके।

19. उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान अपने स्वयं के सैनिटाइज़र (छोटे आकार) को पारदर्शी बोतलों में लाने की अनुमति दी जाएगी।

नोट: हस्त-पुस्तिका (हैंड बुक) वेंडर / निरीक्षक / अन्य परीक्षा कर्मियों को अलग से दिए गए या जारी किए गए दिशा-निर्देश / निर्देश ऊपर उल्लिखित सीमा तक संशोधित किए गए हैं।

अनुबंध

(अनुबंध IV क)

वचनबंध

(सामाजिक दूरी बनाए रखें)

मैं ..... (अनुक्रमांक .....) पुत्र / पुत्री श्री ..... मुझे आबंटित सीट पर आपत्ति है । मेरी मांग पर आबंटित सीट ..... (सी बी आर टी, 20----------) के संबंध में उसी लैब या दूसरी लैब में अलग स्थान पर बदल दी गई है । अब मैं अपनी बैठने की व्यवस्था से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर .....

नाम .....

अनुक्रमांक .....

निरीक्षक के हस्ताक्षर .....

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर .....

नाम और पदनाम .....
रबड़ सील सहित

अनुबंध- V

करार (प्रारूप)

यह करार, _____ दिन _____ 2018 को एक पक्षकार **संघ लोक सेवा आयोग**, धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली - 110069 (यहां इसमें बाद में **" सं. लो. से. आ."** के रूप में संदर्भित) और दूसरे पक्षकार **मैसर्स** _____ जिनका कॉर्पोरेट कार्यालय _____ पर स्थित है, (यहां इसमें बाद में "_____" के रूप में संदर्भित) जो यह अभिव्यक्त करेगा, जब तक कि यह संदर्भ या उसके अर्थ के लिए प्रतिकूल नहीं होगा, इसे यह समझा जाए तथा इसमें इनके उत्तराधिकारी और इनके द्वारा नियुक्त वारिस शामिल हैं।) के बीच नई दिल्ली में किया गया है।

और जबकि _____ ने पूरी परियोजना को निबंधन और शर्तों और निविदा संख्या फ. सं. 2.2 (6) /2019-G.II के अंतर्गत और उसमें निर्धारित प्रभारों में लगाई गई शर्तों के अनुसार करने पर सहमति व्यक्त की है।

अब, एतद् द्वारा दोनों पक्षों द्वारा इस प्रकार सहमति व्यक्त की गई है:

1. परिभाषा

1.1 **भर्ती परीक्षण**: उम्मीदवारों को कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती किया जाता है ।

1.2 **परीक्षा**: ये संरचित नियमित परीक्षाएं (पूर्व-परिभाषित) हैं, जैसे स्पेशल क्लास रेलवे अप्रैंटिस, के. सु.पु.ब., (स.कमा.) सम्मिलित चिकित्सा सेवा, सिविल सेवा (प्रारंभिक) आदि ।

1.3 **परीक्षा केन्द्र**: ये कम्प्यूटर आधारित परीक्षा / भर्ती परीक्षण के स्थल हैं, जहां वेंडर द्वारा वास्तविक परीक्षा / भर्ती परीक्षण आयोजित किया जाना है ।

1.4 **परीक्षा का आयोजन**: कम्प्यूटर आधारित परीक्षा / भर्ती परीक्षण, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) के अनुसार आयोजित किया जाना है ।

2. संविदा की अवधि

संविदा प्रदान करने की तारीख से 3(तीन) वर्ष के लिए मान्य होगा । वेंडर द्वारा उद्धृत वर्षवार दर संविदा अवधि के दौरान नियत रहेगी । मूल्य और अन्य निबंधन एवं शर्तें संविदा अवधि के दौरान वही रहेंगी ।

3. कार्य / कार्य क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण

अनुबंध 1 के अनुसार ।

4. <u>अन्य निबंधन एवं शर्तें :</u>

(i) वेंडर के पास प्रश्न पत्र संलेखन, कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, उम्मीदवारों का बायोमैट्रिक हैंडलिंग आदि से संबंधित सभी साफ्टवेयर अवश्य होने चाहिएं या एजेंसी के पास तृतीय पक्ष सुरक्षा अनुपालन सहित लाईसेंस कापी होनी चाहिए जो कम से कम विगत तीन वर्षों से प्रयोग में हो । वेंडर को, कार्य क्षेत्र (अनुबंध-I) के संबंध में सं. लो. से. आ. की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी साफ्टवेयर के किसी भी मॉडयूल में परिवर्तन करने में सक्षम होना चाहिए ।

(ii) वेंडर, आयोग द्वारा निर्धारित तारीख के अनुसार भर्ती परीक्षण (आर टी) / परीक्षा आयोजित करेगा। वेंडर को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा / आर टी के आयोजन के लिए किराए पर लिया गया स्थल दो दिनों के लिए अर्थात् व्यवस्था वाले दिन के लिए तथा परीक्षा के आयोजन वाले दिन के लिए होना चाहिए । तथापि, व्यवस्था वाले दिन वेंडर को 8.00 बजे पूर्वा. से 6.00 बजे अप. तक आयोग की अपेक्षाओं के अनुसार मॉक टेस्ट आयोजित करने के लिए तीन घंटे की स्लाट की व्यवस्था करनी होगी । आयोग द्वारा भर्ती परीक्षण / परीक्षा के आयोजन का निर्णय लिए जाने के बाद वेंडर को परीक्षा आयोजित करने के लिए आगे दो माह का समय दिया जाएगा ।

(iii) वेंडर के पास परीक्षण इंजन के साफ्टवेयर स्रोत कोड का पूर्ण अधिकार होना चाहिए । वेंडर को आयोग की अपेक्षानुसार साफ्टवेयर में परिवर्तन करने में सक्षम होना चाहिए । साफ्वेयर के वर्जन में यदि कोई परिवर्तन हो तो वेंडर द्वारा उक्त के संबंध में आयोग को सूचित करना होगा या आयोग द्वारा यदि कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही उक्त को अपग्रेड/ लागू किया जाना चाहिए । अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही अगले भर्ती परीक्षण / परीक्षा से अपग्रेड वर्जन प्रयोग में लाया जाएगा।

(iv) परीक्षा के दौरान माऊस को क्लिक करते ही उम्मीदवारों को 'उम्मीदवारों को अनुदेश' उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

(v) वेंडर, इस प्रयोजन के लिए निर्धारित आबंटित समय के भीतर परीक्षण / परीक्षा के स्थल पर रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों के बायोमैट्रिक फिंगरप्रिंट तथा फोटोग्राफ को सफलतापूर्वक कैप्चर करने के प्रति उत्तरदायी होगा । कैप्चर की गई बायोमैट्रिक जानकारी को आयोग के साथ साझा करना होगा तथा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में साक्षात्कार के समय वेंडर द्वारा इसे सत्यापित भी किया जाएगा।

(vi) परीक्षा अवधि के दौरान फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज को टर्मिनल पर प्रत्येक उम्मीदवार के स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी ।

(vii) सं. लो. से. आ. की अपेक्षाओं के अनुसार एजेंसी द्वारा स्क्रीन पर द्विभाषी प्रदर्शन सहित प्रश्न पत्र मुहैया कराया जाएगा ।

(viii) वेंडर अपने डेटा केन्द्र में सुरक्षित तथा इन्क्रिपटेड तरीकों से पूर्ण प्रत्युत्तर डेटा तथा उपस्थिति आंकड़ों के मिलान के प्रति उत्तरदायी होगा जिसे संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय की अपेक्षाओं / फार्मेट के अनुसार परीक्षा / परीक्षण की समाप्ति के तत्काल बाद आयोग के साथ साझा किया जाएगा ।

(ix) प्रत्येक परीक्षा की समाप्ति के बाद ई-मेल के माध्यम से प्रत्येक परीक्षा की संक्षिप्त रिपोर्ट जब भी आवश्यक हो, संघ लोक सेवा आयोग की सलाह के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में उम्मीदवारों को उपलब्ध करानी होगी ।

(x) सही तरीके से काम करने की स्थिति वाले उपकरण की व्यवस्था के लिए वेंडर जिम्मेदार होगा और वेंडर को परस्पर सहमति के आधार पर परीक्षण / परीक्षा के दिन, पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कार्मिकों को तैनात करना होगा ।

(xi) बोली से उत्पन्न होने वाले सभी विधिक विवाद यदि कोई हो, केवल दिल्ली न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन होंगे ।

(xii) यदि परीक्षण / परीक्षा एक से ज्यादा सत्र में आयोजित की जाती है तो भुगतान, उम्मीदवारों को जारी प्रवेश पत्र गुणा सत्र की संख्या के आधार पर किया जाएगा ।

(xiii) यदि वेंडर या वेंडर के संबंधित प्रभाग को किसी अन्य फर्म द्वारा अपने अधिकार में ले लिया जाता है/ खरीद लिया जाता है तो करार के अंतर्गत सभी दायित्व तथा कार्यान्वित की जाने वाली जिम्मेदारियां नई फर्म को हस्तांरित हो जाएंगी ।

(xiv) वेंडर, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्णीत उम्मीदवारों की न्यूनतम संख्या के अनुसार सभी केन्द्रों पर सी बी आर टी / परीक्षा की व्यवस्था करेंगे ।

(xv) वेंडर, कार्य क्षेत्र सहित नि.आ.सू. की सभी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार सख्ती से कार्य को निष्पादित करेंगे । निदेशक (सू.प्रौ.) या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी , संघ लोक सेवा आयोग की ओर से नोडल अधिकारी होंगे, जो समन्वय तथा आवश्यक सहायता, यदि कोई हो और वेंडर को अपेक्षित हो तो उससे संबंधित कार्य करेंगे ।

(xvi) वेंडर, परीक्षा के दौरान कदाचार / धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।

(xvii) वेंडर, परीक्षा केंद्र में बीईएल / बीईएल प्रतिनिधियों के प्रवेश की अनुमति देगा और व्यवस्था के दिन और परीक्षा के दिन जैमर स्थापित करने के लिए बीईएल / बीईएल प्रतिनिधियों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा ।

(xviii) आयोग द्वारा आयोजित अन्य पेन और पेपर मोड परीक्षा में अपनाई गई व्यवस्था के अनुसार, 01 (एक) निरीक्षक को 24 उम्मीदवारों के लिए नियुक्त किया जाएगा। हालांकि, एक कमरे / हॉल के लिए कम से कम 02 (दो) निरीक्षक होंगे।

5. <u>कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि</u>:-

(i) वेंडर को प्रत्येक प्रथम, द्वतीय एवं तृतीय वर्ष के लिए वार्षिक संविदा मूल्य का 10% की दर से कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा । प्रत्येक वर्ष के लिए कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि प्रत्येक तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के शुरू होने पर प्रस्तुत करनी होगा । प्रथम तथा द्वतीय वर्ष के लिए कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि की वैधता 15 माह की अवधि के लिए होगी । तृतीय वर्ष के लिए कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि वारंटी दायित्व, यदि कोई हों सहित, सभी संविदात्मक दायित्वों के पूर्ण होने के नब्बे दिनों तक वैध रहेगी । कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि जो डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / बैंक गारंटी के रूप में सचिव,सं. लो. से. आ. के पक्ष में दिल्ली में देय हो, के रूप में होगी । तीन वर्षों में से प्रत्येक के लिए कार्य के संतोषजनक रूप से पूरा होने तक आयोग द्वारा कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि को अपने पास रखा जाएगा ।

(ii) यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए कि सं. लो. से. आ. द्वारा निर्धारित समय सीमा तथा कार्य क्षेत्र के अनुसार कार्य के पूर्ण न होने की स्थिति में कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त किए जाने की भागी होगी । यह, निर्धारित क्षति / शास्ति यदि कोई हो, जैसा कि निबंधन एवं शर्तों में यथाविनिर्दिष्ट रूप में लगाई जा सकती है, के अतिरिक्त होगी । कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि की प्राप्ति पर वेंडर को धरोहर जमा राशि वापस कर दी जाएगी । किसी भी परिस्थिति में सं. लो. से. आ. द्वारा कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

6. प्रभार

अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि के दौरान प्रति सत्र प्रति उम्मीदवार रु. _____ /-

(रुपए _____ केवल) प्लस कर जैसा कि प्रयोज्य है।

7. भुगतान शर्तें:

(i) भुगतान रू. ...../- प्लस कर जैसा कि प्रयोज्य है, उस विशेष भर्ती परीक्षण / परीक्षा के लिए जारी प्रवेश पत्रों की संख्या के लिए किया जाएगा यदि यह एक सत्र में आयोजित की जाती है । यदि कोई परीक्षण / परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, तब भुगतान प्रवेश पत्र जारी किए गए उम्मीदवारों की संख्या को सत्र संख्या से गुणा करके इस आधार पर किया जाएगा ।

(ii) वेंडर द्वारा भर्ती परीक्षण / परीक्षा के सफल आयोजन तथा संघ लोक सेवा आयोग के सूचना प्रणाली स्कंध की संतुष्टि स्वरूप पूर्ण डेटा प्रदान किए जाने पर 75% भुगतान किया जाएगा।

(iii) डेटा के विश्लेषण, विसंगतियां यदि काई हो, को वेंडर द्वारा दूर कर दिए जाने तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार आयोजित किए जाने के पश्चात, अंतिम परिणाम घोषित किए जाने के बाद 25% भुगतान कर दिया जाएगा ।

8. आयकर : वेंडर के बिलों से स्रोत से वसूली किए जाने योग्य, जैसा कि लागू हो।

9. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कार्य गोपनीय एवं संवेदनशील प्रकृति का है :-

(i) सं. लो. से. आ. की पूर्व अनुमति के बिना, कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण/ परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का विवरण चाहे जो भी हो, वेंडर किसी को भी नहीं बताएगा । वेंडर को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निवारक उपाय करने होंगे कि कोई भी यह न जान पाए कि कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण / परीक्षा उनके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित किया जा रही है ।

(ii) वेंडर प्रचालनात्मक पहलू को किसी को उप संविदा पर नहीं देगा और परीक्षा के सुरक्षित एवं सुचारू रूप से संचालन के लिए पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा । तथापि, यदि अपेक्षित हो तो बोलीदाता भर्ती परीक्षण / परीक्षा से कम से कम चार सप्ताह पूर्व संघ लोक सेवा आयोग को विधिवत रूप से सूचित करते हुए कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं अन्य सहायक उपकरणों को प्राप्त करने जैसी आवश्यक आधारभूत संरचना की व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं के साथ गठजोड़ कर सकता है ।

(iii) वेंडर को सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा / भर्ती परीक्षण के आयोजन के लिए किराए पर लिया गया स्थल दो दिनों के लिए अर्थात् व्यवस्था वाले दिन तथा परीक्षा के संचालन वाले दिन के लिए होना चाहिए और किसी तीसरे पक्ष की कोई परीक्षण / परीक्षा (ऑन लाइन / ऑफ लाइन) या अन्य कार्यकलाप दोनों दिनों के लिए किसी भी स्थल पर निश्चित किए हुए नहीं होना चाहिए ।

10. निर्धारित क्षतियां / शास्ति खंड :

(i) यदि वेंडर संविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है तो संघ लोक सेवा आयोग कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि की जब्ती के अलावा भर्ती परीक्षण / परीक्षा संबंधी कुल भुगतान का 100% तक शास्ति अधिरोपित कर सकता है ।

(ii) वेंडर को व्यापक कार्य क्षेत्र के बिन्दु संख्या 3 (अनुबंध-1) में यथावर्णित महत्वपूर्ण चरणों को कार्यान्वित करना अपेक्षित होगा जिसे वेंडर को समय सीमा के साथ प्रत्येक भर्ती परीक्षण (आर.टी.) के लिए उपलब्ध कराया जाएगा । यदि वेंडर प्रत्येक भर्ती परीक्षण / परीक्षा के लिए यथा निर्दिष्ट समय सीमा का अनुपालन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो की गई देरी की अवधि के लिए प्रतिदिन आधार पर उस भर्ती परीक्षण (आर टी) / परीक्षा पत्र के लिए कुल भुगतान का 1% की दर से शास्ति अधिरोपित की जाएगी । उस विशेष भर्ती परीक्षण/ परीक्षा के लिए अधिकतम शास्ति कुल भुगतान का 20% तक सीमित होगी । तदनुसार, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अगले चरण के लिए समय में कटौती कर ली जाएगी । यदि वेंडर की वजह से

होने वाले विलम्ब के कारण भर्ती परीक्षण के आयोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो खंड 10 (i) लागू होगा ।

11. जोखिम क्रय खंड: यदि बोली की प्रस्तुति तथा उसको विधिवत रूप से स्वीकृत कर लिए जाने के बाद अर्थात् आर्डर देने के बाद निविदा दस्तावेज़ की निबंधन एवं शर्तों का पालन करने और / या दिए गए निर्धारित समय सीमा के अनुसार कार्य निष्पादित करने में वेंडर असफल होता है या किसी भी समय संविदा को छोड़ देता है तो संघ लोक सेवा आयोग को धरोहर जमा राशि को जब्त करने, वेंडर द्वारा जमा की गई कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि तथा वेंडर के जोखिम तथा व्यय पर अन्य फर्म से कार्य करवाने का अधिकार होगा । वेंडर के बोली मूल्य तथा वैकल्पिक व्यवस्था के कारण होनी वाले लागत के अंतर की वसूली अन्य प्रासंगिक प्रभारों सहित वेंडर से की जाएगी । यदि सं. लो. से. आ. को वैकल्पिक स्रोत से कार्य करवाने को विवश किया जाता है और यदि उसकी लागत कम होती है तो इस मद पर मिलने वाला लाभ वेंडर को नहीं दिया जाएगा ।

12. अनिवार्य बाध्यता:

वेंडर अपने तर्कसंगत नियंत्रण से परे कार्यों को निपटाने में आने वाली बाधाओं जिसमें प्राकृतिक आपदाओं सहित युद्ध, दंगे, धरना, तालाबंदी, किसी सरकारी प्राधिकरण की कार्रवाई, लाइसेंस प्राप्त करने में हुई देरी या संविधियों के तहत आवेदन पत्रों की अस्वीकृति, विद्युत आपूर्ति में बाधा, दुर्घटना या विघटन, आग या बाढ़ भी शामिल है, या ऐसे कारणों से पैदा होने वाले किसी प्रभाव जिनमें वेंडर का दुराशय प्रकट न होता हो, किन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा । वेंडर जिनके लिए अनिवार्य बाध्यता के कारण इस संविदा मूल्य के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करना संभव नहीं तो उन्हें उर्पयुक्त परिस्थितियों की शुरूआत तथा अंत के संबंध में लिखित रूप में आयोग को तत्काल अधिसूचित करना होगा लेकिन किसी भी स्थिति में उस अवधि के शुरू होने से 10 (दस) दिन से अधिक नहीं होना चाहिए ।

13. मध्यस्थता:

संघ लोक सेवा आयोग तथा वेंडर के बीच पैदा होने वाले किसी विवाद या मतभेद जो किसी परिणाम, अर्थ तथा प्रक्रिया या इस संविदा पर पड़ने वाले प्रभाव या संविदा भंग होने की स्थिति में विवाद का निपटान मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय संघ लोक सेवा आयोग तथा वेंडर दोनों पर बाध्यकारी होगा । मध्यस्थता का स्थल दिल्ली होगा ।

14. क्षेत्राधिकार:

मध्यस्थता के अध्यधीन उपर्युक्त के अलावा इस करार के कारण कोई वाद या कार्रवाई जो दोनों पक्षों में से किसी के भी अधिकार का हनन करती हो, दिल्ली में ही दायर की जाएगी और उस पर केवल दिल्ली के न्यायालय में ही न्यायिक जांच होगी और अन्य किसी न्यायालय में नहीं होगी और अब दोनों पक्ष ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने के प्रति स्वेच्छा से सहमत होंगे ।

15. समाप्ति खंड:

संघ लोक सेवा आयोग संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय करार / संविदा को बिना कोई कारण बताएं वेंडर को एक माह का नोटिस देकर संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । संघ लोक सेवा आयोग के सचिव का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

16. विस्तार खंड:

यदि आयोग द्वारा यह निर्णय लिया जाता है तो मौजूदा निबंधन एवं शर्तों पर तीसरे वर्ष की दर पर एक वर्ष के लिए निविदा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

17. फॉल क्लॉज: निम्नलिखित फॉल क्लॉज, सफल बोलीदाता के मामले में संविदा का एक हिस्सा होगी:-

(क) वेंडर द्वारा संविदा के अंतर्गत दी जाने वाली सेवा के लिए वसूली गई कीमत, उस अवधि के दौरान जब तक कार्य पूरा न हो जाए या संविदा की दर के चालू रहने के दौरान सारा कार्य आदेश पूरा नहीं हो जाता है, जैसा भी मामला हो, उस न्यूनतम मूल्य से अधिक नही होना चाहिए जिस पर वह वेंडर सेवा अथवा समान स्तर की सेवा [अर्थात् इस दस्तावेज़ के अनुबंध- I एवं II में यथावर्णित मूल क्षेत्र / कार्य के विवरण के अनुपालन हेतु सेवाएं] संघ लोक सेवा आयोग सहित किसी अन्य व्यक्ति / संगठन तथा क्रेता या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या केन्द्र या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी सांविधिक उपक्रम, जो भी स्थिति हो, को उपलब्धा कराने का प्रस्ताव करता है ।

(ख) यदि उक्त अवधि के दौरान किसी भी समय वेंडर अपना विक्रय मूल्य कम करता है, कम मूल्य पर उक्त सेवा संघ लोक सेवा आयोग सहित किसी व्यक्ति / संगठन या केन्द्र / राज्य सरकार के विभाग या केन्द्र या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी सांविधिक उपक्रम को संविदा में उद्धृत दरों से कम मूल्य पर सेवाएं प्रदान करता है या प्रदान करने का प्रस्ताव करता है तो वह विक्रय में या विक्रय के प्रस्ताव में इस प्रकार की कटौती के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग को सूचित करेगा और संविदा के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली कीमत में तद्नुसार कटौती की जाएगी । उपर्युक्त शर्तें निम्न पर लागू नहीं होगी:-

(i) वेंडर द्वारा किए गए निर्यात पर

(ii) विक्रय / मौजूदा अथवा पूर्व दर संविदा के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों और उनके उपक्रमों सहित जिनमें संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां और / अथवा निजी पक्षकार और निकाय शामिल नहीं है, के साथ की गई पूर्व की किन्ही संविदाओं के अधीन संबद्ध प्राधिकारी द्वारा जारी करने की तारीख के दिन अथवा इसके पश्चात सेवा मुहैया करना अथवा संविदा संबंधी आदेश प्रदान करना ।

(ग) वेंडर को संविदा दर के अनुसार की गई सेवा के प्रत्येक बिल के भुगतान के लिए उसके साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र भुगतान अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा । "हम प्रमाणित करते हैं कि इस संविदा के अंतर्गत सरकार को प्रदान की जा रही ऐसी सेवाएं और उसी प्रकार की समरूप सेवाओं के लिए बिक्री मूल्य में कोई कटौती नहीं की गई है [अर्थात् इस दस्तावेज के अनुबंध-I एवं II में यथाउल्लिखित मूल क्षेत्र / कार्य के विवरण के अनुपालन हेतु सेवाएं] मेरे/ हमारे द्वारा किसी व्यक्ति / संगठन क्रेता सहित या केन्द्र / राज्य सरकार के किसी विभाग या केन्द्र / राज्य सरकार के अंतर्गत किसी सांविधिक उपक्रम जो भी स्थिति हो, बिल की तारीख तक / इस संविदा दर के तहत दिए गए सभी आपूर्ति आदेशों को पूरा करने तक, सरकार से वसूली गई दर से कम कीमत पर इस प्रकार की सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है ।"

18. <u>प्रतिनिधित्व और वारंटी</u>

वेंडर यह गारंटी देता है कि उसके पास अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से निर्वहन करने की क्षमता है और वह अपनी सेवाएं एक कुशल और कामगार की तरह प्रदान ही करेगा। इसके अलावा, वेंडर यह भी गारंटी देता है कि वह अच्छी तरह संगठित है और वैध रूप से विद्यमान है और अपने निगमन या गठन की स्थिति के कानूनों के तहत अच्छी स्थिति में है और उसे इस करार में प्रविष्ट होने का पूर्ण अधिकार है जो एक कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व का निर्माण करता है। ऊपर बताए अनुसार, वेंडर ग्राहक को बगैर किसी सीमा सहित किसी भी उद्देश्य के लिए व्यापारिक योग्यता या फिटनेस निहित किसी भी प्रकार की व्यक्त या निहित वारंटी नहीं देता है ।

जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इसमें उल्लखित दिन, महीने, वर्ष और जगह के तहत निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में करार पर हस्ताक्षर किए ।

की उपस्थिति में हस्ताक्षरित, मोहरबंद और सुपुर्द :

1. सं.लो.से.आ. के प्रतिनिधि सं.लो.से.आ. के लिए और उनकी ओर से

गवाह

2. वेंडर के प्रतिनिधि वेंडर के लिए और उनकी ओर से

गवाह

अनुबंध-I (संविदा का)

कार्य का व्यापक क्षेत्र

संघ लोक सेवा आयोग नीचे सूचीबद्ध किए गए कुछेक या सभी 72 शहरों में आयोग द्वारा यथानिर्णित मामला दर मामला आधार पर कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण (सीबीआरटी)/ परीक्षाओं के आयोजन की इच्छा रखता है । उपर्युक्त परीक्षण के आवेदक कम्प्यूटर शिक्षित होगें। ऐसे शहरों में परीक्षण का आयोजन इंटरानेट/ लैन वातावरण के अंतर्गत होगा।

क्रम सं.	केन्द्र का नाम	क्रम सं.	केन्द्र का नाम
1.	अगरतला	21.	दिसपुर (गुवहाटी)
2.	आगरा	22.	फरीदाबाद
3.	अहमदाबाद	23.	गंगटोक
4.	आईजोल	24.	गौतमबुद्ध नगर
5.	अजमेर	25.	गया
6.	अलीगढ़	26.	गाजियाबाद
7.	इलाहाबाद	27.	गोरखपुर
8.	अनन्तपुरम	28.	गुडगांव
9.	औरंगाबाद	29.	ग्वालियर
10.	बंगलौर	30.	हैदराबाद
11.	बरेली	31.	इम्फाल
12.	भोपाल	32.	इन्दौर
13.	बिलासपुर	33.	ईटानगर
14.	चन्डीगढ़	34.	जबलपुर
15.	चेन्नई	35.	जयपुर
16.	कोयम्बटूर	36.	जम्मू
17.	कटक	37.	जोधपुर

18.	देहरादून	38.	जोरहाट
19.	दिल्ली	39.	कोची (कोचीन)
20.	धारवाड़	40.	कोहिमा
41.	कोलकाता	57.	रांची
42.	कोझिकोड	58.	सम्बलपुर
43.	लखनऊ	59.	शिलांग
44.	लुधियाना	60.	शिमला
45.	मदुरई	61.	सिलिगुड़ी
46.	मुम्बई	62.	श्रीनगर
47.	मैसूर	63.	ठाणे
48.	नागपुर	64.	तिरूवन्ननतपुरम
49.	नवी मुम्बई	65.	तिरूचिरापल्ली
50.	पणजी (गोवा)	66.	तिरूपति
51.	पटना	67.	उदयपुर
52.	पांडिचेरी	68.	वाराणसी
53.	पोर्टब्लेयर	69.	वेल्लोर
54.	पुणे	70.	विजयवाड़ा
55.	रायपुर	71.	विशाखापटनम
56.	राजकोट	72.	वारंगल

नोट:- उपर्युक्त परीक्षण केन्द्रों की संख्या सूचनात्मक है । तथापि, उम्मीदवारों की संख्या पर आधारित परीक्षण केन्द्रों की संख्या में आयोग अन्तर कर सकता है ।

कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण / परीक्षा संबंधी प्रक्रिया को निम्नलिखित मॉडयूल में बांटा जाएगा:-

1. **परीक्षा-पूर्व कार्यकलाप:** आयोग द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप कार्यान्वित किए जाएंगे और केवल प्रवेश पत्र / ई-प्रवेश पत्र की नमूना प्रति तथा प्रवेश पत्र प्राप्त उम्मीदवारों के केन्द्र-वार / स्थल-वार विवरण और उनके फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर की सॉफ्ट प्रति को परीक्षण के आयोजन के लिए वांछित प्रारूप में एजेंसी को उपलब्ध कराया जाएगा:

(i) आवेदन पत्रों को प्राप्त करना ।

(ii) केंद्र-वार विवरणी तैयार करना।

(iii) आवेदन पत्रों की संवीक्षा ।

(iv) उन केन्द्रों (शहरों/स्थल) के संबंध में निर्णय लेना जहां सीबीआरटी / परीक्षा आयोजित की जानी है।

(v) अनुक्रमांक आबंटित करना ।

(vi) ई-प्रवेश पत्रों की अपलोडिंग ।

उपर्युक्त सभी परीक्षा-पूर्व कार्यकलाप आयोग द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे । उपर्युक्त 'घ' के संबंध में उन केंद्रों के लिए परीक्षण / परीक्षा स्थलों का निर्णय लेना जहां परीक्षा आयोजित की जानी है, जिसे केंद्र-वार विवरणी के आधार पर आयोग द्वारा उल्लिखित एसओपी (मानक प्रचालन प्रक्रिया) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर एजेंसी द्वारा किया जाना है।

2. **परीक्षा का आयोजन:** चुनी गई एजेंसी द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए जाएंगे और वह कम्प्यूटरों का प्रयोग करते हुए भर्ती परीक्षण के सुचारू एवं निर्बाध आयोजन के लिए उत्तरदायी होगी ।

i. उपर्युक्त पैरा-1 में वर्णित केंद्रों के अंतर्गत विशिष्ट परीक्षण / परीक्षा स्थलों के बारे में निर्णय लेना जो उम्मीदवारों के ब्रेकअप पर निर्भर करेगा। तथापि परीक्षण स्थल/ उपकेंद्र का चयन करने का अंतिम निर्णय आयोग का होगा।

ii. एजेंसी को अधिकतम उम्मीदवार की क्षमता वाले स्थान मुहैया कराना अपेक्षित होगा जिसके लिए वे पैरा-I में वर्णित केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन कर सकें।

iii. हाईवेयर एवं सॉफ्टवेयर सहित पूर्ण आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना ।

iv. प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर इंटरानेट आधारित समाधान द्वारा परीक्षा प्रक्रिया का प्रबंध करना ।

v. परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के लिए शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपेक्षित अनुदेश/ सूचना प्रदान करने के लिए अपेक्षित डिस्प्ले कार्ड की व्यवस्था / मुहैया करना ।

vi. डिस्प्ले में किसी विशेष लैब और लोकेशन में कितने उम्मीदवार बैठे हैं, प्रदर्शित होने चाहिए।

vii. परीक्षण / परीक्षा स्थलों के अंदर सुस्पष्ट डेटा सुरक्षा, डेटा अंतरण एवं वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित करना । डेटा को अद्यतन करने या फिर डेटा बेस सर्वर पर पहुंच का अधिकार साईट पर्यवेक्षक के पास नहीं होने चाहिए ।

viii. प्रत्येक स्थल पर स्वचालित एवं त्रुटिरहित (फेलसेफ) पूर्ण बैक अप सहित पूर्ण यू पी एस सुविधा सुनिश्चित करना ।

ix. सर्वर रूम में वातानुकूलन सुविधा तथा वरीयता पर्याप्त वातानुकूलन सुविधा सभी लैब में मुहैया कराना है ।

x. कम से कम दो विभिन्न सेवा प्रदाता से इन्टरनेट सुविधा जैसे लीज लाइन / ब्रॉडबैंड / डेटाकार्ड मुहैया कराना ।

xi. त्रुटि रहित (फेलसेफ) और सिक्योर्ड लैन संस्थापित करना जो प्रत्येक स्थल में आस-पास के क्षेत्र के अन्य कम्प्यूटरों से भिन्न हो और लैन उपस्कर तथा संसाधनों के पर्याप्त बैक अप के साथ हो।

xii. प्रत्येक स्थल पर सभी साफ्टवेयर के साथ कलस्टर मोड / हॉट स्वपेबल मोड में बैक अप सर्वर मुहैया करना और इसे आवश्यकता की स्थिति में प्रयोग के लिए तैयार रखना।

xiii. परीक्षा से एक दिन पहले आयोग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में पूर्ण एवं व्यापक मॉक ड्रिल की जानी सुनिश्चित करना तथा इस आशय का परीक्षण के सफल आयोजन का प्रमाण पत्र प्रदान करना कि लैन संयोजकता सहित पूर्ण हाईवेयर एवं सॉफ्टवेयर, बिना किसी तकनीकी व्यवधान एवं बग्स के संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है और ए सी, पावर बैकअप आदि सहित सभी बैकअप सुविधाएं सुव्यवस्थित हैं ।

xiv. यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षण के दौरान प्रत्युत्तर मार्क करने के लिए अपेक्षित साफ्टवेयर को छोड़कर उपलब्ध की-बोर्ड एवं अन्य हार्डवेयर जैसे पोर्ट, सी डी / डी वी डी आदि को निष्क्रिय कर दिए गए हैं।

xv. यह सुनिश्चित करना है कि बैक अप सहित सभी टर्मिनल एवं सर्वर वायरसमुक्त / पूरी तरह से सुरक्षित होंगे और परीक्षण के शुरू होने के पहले इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

xvi. आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार परीक्षण / परीक्षा शुरू होने से काफी समय पहले परीक्षण के लिए उपस्थित होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार का एकदम सही पंजीकरण सुनिश्चित करना । पंजीकरण के समय वेबकैम पर लिए गए उम्मीदवार के फोटोग्राफ़ का उस फोटोग्राफ़ से मिलान करना चाहिए जो उम्मीदवार साथ लेकर आया है तथा उसकी बायोमीट्रिक सूचना कैप्चर तथा स्टोर करनी चाहिए, जिसे आयोग द्वारा भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है । सत्यापन के बाद, प्रत्येक पंजीकृत उम्मीदवार को यूजर आई डी जारी करना होगा।

xvii. टर्मिनल नं. जिस पर उम्मीदवार को भर्ती परीक्षण / परीक्षा देना होगा, वह पंजीकरण के समय यादृच्छिक आधार पर आबंटित किया जाएगा ।

xviii. आयोग से प्राप्त प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रूप से इंस्टाल एवं सुरक्षित परिवेश में कार्यान्वित करना ।

xix. पर्याप्त पासवर्ड सुरक्षा के अंतर्गत इंक्रिप्टेड मोड के माध्यम से संवेदनशील आंकड़ों की स्टोरिंग एवं अंतरण सुनिश्चित करना । इन आंकड़ों को आयोग द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही हैंडल किया जाएगा ।

xx. आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार संवेदनशील आंकड़ों का अंतरण करना ।

xxi. आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्थल पर सी बी आर टी / परीक्षा के आयोजन का पर्यवेक्षण, निरीक्षण और तकनीकी प्रचालन के लिए संबंधित एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। तथापि, आयोग भर्ती परीक्षण के सुचारू एवं निष्पक्ष आयोजन को देखने एवं मॉनीटर करने के लिए प्रत्येक स्थान पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है ।

xxii. आयोग की निम्नलिखित अपेक्षानुसार निरीक्षक, तकनीकी स्टाफ, पर्यवेक्षक तथा अन्य स्टाफ मुहैया कराना :

क्रम सं.	तकनीकी / गैर- तकनीकी स्टाफ	अपेक्षित स्टाफ
1.	निरीक्षक	लैब / कमरे में न्यूनतम दो सहित 24 उम्मीदवारों के लिए दो
2.	साईट सुपरवाइजर	एक
3.	सहायक सुपरवाइजर	प्रति स्थल दो

(xxiii) भर्ती परीक्षण / परीक्षा से संबंधित सभी कार्मिकों को आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में समुचित समय पर यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनका कोई भी नजदीकी रिश्तेदार उपर्युक्त परीक्षण में शामिल नहीं हो रहा है।

(xxiv) प्रतिरूपण की जांच के लिए एजेंसी को परीक्षा अवधि के दौरान टर्मिनल की स्क्रीन पर फोटो सहित उम्मीदवार के वैयक्तिक विवरण जैसे अनुक्रमांक एवं नाम मुहैय्या कराना होगा ।

(xxv) एजेंसी को उम्मीदवारों की लगातार निगरानी एवं रिकार्डिंग के लिए प्रत्येक स्थल पर समुचित सं. में वेब-कैम / सी सी टी वी स्थापित करने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि परीक्षण / परीक्षा के दौरान लैब में सभी उम्मीदवारों की रिकार्डिंग को पूरी तरह से कवर किया जा सके । एजेंसी को भर्ती परीक्षण / परीक्षा की समाप्ति के बाद सभी रिकार्डिंग आयोग को उपलब्ध करानी होगी ।

(xxvi) एजेंसी को मॉनीटरिंग कंसोल पर सभी स्थलों की परीक्षा से संबंधित कार्य कलापों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए सं.लो.से.आ. के नियंत्रण कक्ष पर प्रबंध करना होगा ।

(xxvii) जब भी आवश्यक हो केंद्र पर आयोग की अपेक्षानुसार शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों (अस्थि विकलांग, दृष्टि बाधित या श्रवण बाधित) की व्यवस्था के लिए एजेंसी उत्तरदायी होगी। तथापि, जहां इस सुविधा की आवश्यकता है, एजेंसी को अग्रिम रूप से सूचित कर दिया जाएगा। तथापि, फर्म को प्रत्येक केन्द्र पर कम से कम एक शारीरिक रूप से विकलांग के लिए अनुकूल स्थल के लिए निम्नलिखित सुविधाएं निर्दिष्ट करना होगा:-

क. अधिमानत: भूतल पर विकलांगों के अनुकूल वातावरण सहित प्रत्येक केन्द्र पर शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए स्थल मुहैय्या कराना ।

ख. शहरों के सभी भाग से परीक्षा स्थल जुड़े हों और वहां पर आसानी से पहुंचा जा सके ।

ग. सुलभ सुविधाएं जैसे हैंड रेलस, लो फ्लोर सीढी सहित रैम्प ।

घ. समुचित चेतावनी संकेतक ।

ङ. स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता ।

च. व्हील चेयर की सुविधा ।

(xxviii) परीक्षा प्रक्रिया के दौरान सभी उम्मीदवारों के सभी कार्यकलापों के ऑडिट ट्रेल का अनुरक्षण करना तथा परीक्षा की समाप्ति के 5 दिनों के भीतर आयोग को उक्त सामग्री, पठनीय रूप में मुहैया कराना होगा ।

3. **सी बी आर टी / परीक्षा के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण चरण:-**

(i) वेंडर द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को ऑन लाइन भर्ती परीक्षण के आयोजन के लिए स्थलों की अंतिम सूची मुहैया कराना जो केन्द्र-वार सूची पर आधारित होगा।

(ii) वेंडर द्वारा संबंधित भर्ती परीक्षण के लिए प्रोसेस मैन्युअल तथा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षण के लिए डेमो टेस्ट फाइल मुहैया कराना।

(iii) वेंडर द्वारा अपेक्षित फार्मेट में भर्ती परीक्षण की समाप्ति के बाद परीक्षा डेटा अंतरित करना ।

(iv) वेंडर द्वारा साक्षात्कार के समय बायो-मैट्रिक सुविधा के जरिए उम्मीदवारों का सत्यापन करना।

4. प्रश्न बैंक और प्रश्न पत्रों का प्रेषण:

प्रश्न पत्रों को तैयार करने एवं उनके प्रेषण से संबंधित सभी कार्यकलाप आयोग द्वारा निष्पादित किए जाएंगे । एजेंसी को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उपयुक्त समय पर शामिल किया जाएगा:-

i. आयोग के परामर्श से एजेंसी निर्धारित योजना के अनुसार प्रक्रियाओं, आधारभूत संरचना, सर्वरों, नेटवर्क, वी पी एन कनेक्शनों आदि की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करेगी ।

ii. एजेंसी को परीक्षा-पूर्व एवं परीक्षा पश्चात कार्यकलापों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एस ओ पी) का अनुपालन करना होगा।

iii. एजेंसी प्रश्न पत्रों का संलेखन उपकरण (आथरिंग टूल) प्रदान करेगी जो 256 बिट इंक्रिप्शन के साथ प्रश्न पत्रों की शुरू से लेकर अंत तक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा

iv. प्रश्न-बैंक तैयार करने का उत्तरदायित्व आयोग के पास रहेगा।

v. एजेंसी, प्रश्न पत्रों के प्रारूप के साथ अपेक्षित यूज़र फ्रेन्डली सॉफ्टवेयर एवं क्रिया विधि प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी । यह सॉफ्टवेयर, एजेंसी को सुरक्षित कम्प्यूटर सिस्टम / सर्वर में संस्थापित करना होगा जिसे आयोग कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। यदि अपेक्षित हो, तो एजेंसी को प्रश्न पत्रों के रख-रखाव के संबंध में डमी ड्रिल के साथ उपयुक्त के संबंध में प्रशिक्षण देना होगा । यह कार्य आयोग द्वारा प्रश्न-पत्र तैयार करने से पर्याप्त समय पहले पूरा करना होगा।

vi. उम्मीदवारों को दिए जाने वाले प्रश्न पत्र में उत्तर विकल्प के साथ-साथ प्रश्नों को फेरबदल (शफल) करने की सुविधा साफ्टवेयर में होनी चाहिए ताकि दो उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र के समान सैट नहीं मिल पाएं ।

vii. क्यू पैक के अंतरण और उम्मीदवारों को इसके वितरण के तौर तरीके का निर्धारण आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियानुसार चयनित एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

viii. एजेंसी को प्रत्येक भर्ती परीक्षण / परीक्षा के आयोजन से पहले 25 दिनों के

भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए संगत सी बी आर टी / परीक्षा के लिए डेमो फाइल (मॉक टेस्ट) द्विभाषी या अंग्रेजी में मुहैया करानी होगी । मॉक टेस्ट आयोजित किए जाने वाले भर्ती परीक्षण / परीक्षा के टेम्प्लेट पर तथा आयोग की अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए ।

ix. एजेंसी को निरीक्षण अधिकारी के प्रयोग हेतु भर्ती परीक्षण / परीक्षा की तारीख से पहले 15 दिनों के भीतर संगत सी बी आर टी / परीक्षा की विस्तृत प्रोसेस मैन्युअल मुहैया करनी होगी ।

5. **परीक्षण पश्चात् की प्रक्रिया:**

i. जैसे ही भर्ती परीक्षण समाप्त होता है, एजेंसी को समुचित 'लॉग फाइलों' (पठनीय प्रारूप में) सहित समग्र आंकड़ों का अंतरण पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण में इंक्रिप्टेड रूप में आयोग को अंतरित करने की व्यवस्था करनी होगी ।

ii. एजेंसी तब आयोग द्वारा इच्छित तथा परस्पर निर्णय के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी। रॉ स्कोरिंग, एजेंसी द्वारा तैयार की जाएगी जो उत्तर कुंजी पर आधारित होगी जिसे परीक्षा की समाप्ति के पश्चात आयोग द्वारा प्रदान किया जाएगा।

iii. एजेंसी द्वारा रिपोर्ट सहित उपर्युक्त यथाउल्ल्िखित समग्र आंकड़े उसी दिन 'सिक्योर्ड मोड' में आयोग को अंतरित करने होंगे ।

iv. एजेंसी परीक्षण की समाप्ति के पश्चात् दो दिन के भीतर आयोग को वर्तमान उपस्थित उम्मीदवारों की सूची सहित पंजीकरण विवरण भी अंतरित करेगी।

v. आयोग, परीक्षोपरान्त आगे की कार्रवाई अर्थात् परिणाम की घोषणा के लिए उत्त्रदायी होगा ।

vi. एजेंसी, यदि अपेक्षित हो तो प्रत्येक उम्मीदवार के द्वारा प्रयास किए गए प्रत्युत्तर सहित परीक्षा के प्रश्न-पत्रों के ई-मेलिंग के लिए साफ्टवेयर / सुविधा मुहैया कराएगी।

vii. परिणाम की प्रोसेसिंग करते समय आयोग द्वारा यदि कोई विसंगति नज़र आती है, तो एजेंसी उसका समाधान तात्कालिक आधार पर करेगी ।

टिप्पणी :

1. प्रत्येक परीक्षण / परीक्षा आयोजित किए जाने के पश्चात सं.लो.से.आ. को संगत डेटा तथा आर टी आई आदि का निपटान करने के लिए समर्थन/ सहायता के लिए एजेंसी दस्तावेजी इनपुट भी मुहैया कराएगी।
2. एजेंसी, कार्यान्वित करने से पहले आयोग को टेस्ट डेटा सहित टेस्ट रन की पूर्ण प्रणाली को प्रस्तुत / प्रदर्शित करेगी ।
3. एजेंसी आवेदन पत्रों में सृजित होने वाली समस्त त्रुटियों, चेतावनियों और अपवादों जब वे घटित होते हैं तो घटित होने के समय सहित, उनको कैप्चर करने हेतु एप्लीकेशन/ सर्वर लॉग्स को भी प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए ।

अनुबंध-I क

ऑन लाइन परीक्षा केन्द्रों की सूची

क्रम सं.	शहर का नाम	क्रम सं.	शहर का नाम
1.	अहमदाबाद	22.	जम्मू
2.	इलाहाबाद	23.	चंडीगढ़ / मोहाली
3.	बैंगलूरू	24.	पणजी
4.	भोपाल	25.	पोर्ट ब्लेयर
5.	मुम्बई	26.	धारवाड़
6.	कोलकाता	27.	मदुरई
7.	कटक	28.	रांची
8.	दिल्ली	29.	गंगटोक
9.	दिसपुर/ गुवाहाटी	30.	कोहिमा
10.	हैदराबाद	31.	इम्फाल
11.	जयपुर	32.	अगरतला
12.	चेन्नई	33.	जोरहाट
13.	नागपुर	34.	आईजोल
14.	देहरादून	35.	ईटानगर
15.	पटना	36.	रायपुर
16.	शिलांग	37.	तिरूपति
17.	शिमला	38.	विशाखापटनम
18.	श्रीनगर	39.	उदयपुर
19.	तिरूवनन्तपुरम	40.	सम्बलपुर
20.	एर्नाकुलम	41.	बरेली
21.	लखनऊ		

अनुबंध-VI

जांच सूची

क्रम सं.	विवरण	संलग्न है / नहीं	पृष्ठ सं.
1.	क्या 80,00,000/- रू. की धरोहर जमा राशि संलग्न की गई है	हां/नहीं	
2.	क्या पैन कार्ड/माल एवं सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है	हां/नहीं	
3.	क्या पूर्ववर्ती 3 वर्षों अर्थात् वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 की आय कर विवरणी की प्रति संलग्न है	हां/नहीं	
4.	क्या पूर्ववर्ती 3 वर्षों अर्थात् वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 की लेखा परीक्षित लाभ तथा हानि खाता की प्रतियां संलग्न की गई है	हां/नहीं	
5.	क्या पूर्ववर्ती वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 की लेखा परीक्षित तुलन पत्र की प्रतियां संलग्न की गई है	हां/नहीं	
6.	क्या चार्टरित लेखाकार (सी ए) से प्राप्त प्रमाण पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि "विगत तीन वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक कारोबार केवल ऑन लाइन/ कम्प्यूटर आधारित / ऑन लाइन भर्ती परीक्षा से संबंधित तथा इसमें अन्य स्रोतों से प्राप्त आय शामिल नहीं है", को संलग्न किया गया है।	हां/नहीं	
7.	क्या कंपनी का निगमन प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।	हां/नहीं	
8.	क्या विगत पांच वर्षों के दौरान बोलीदाता द्वारा आयोजित की गई सी बी आर टी / परीक्षा से संबंधित क्रय आदेश और / अथवा पूर्णता प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न की गई है ।	हां/नहीं	
9.	क्या खंड 9 द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेज़ी साक्ष्य संलग्न किया गया है ।	हां/नहीं	

10.	क्या आई एस ओ 9001 तथा आई एस ओ 27001 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानक) / एस टी क्यू सी प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है ।	हां/नहीं	
11.	क्या कार्य क्षेत्र के संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट (अनुबंध-II पर दिए गए) संलग्न की गई है ।	हां/नहीं	
12.	क्या केन्द्रों की सूची (अनुबंध-II क पर) जहॉ विगत 05 (पांच) वर्षों के दौरान फर्म द्वारा सी बी आर टी आयोजित किया गया है ।	हां/नहीं	
13.	क्या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र (जैसा अनुबंध-III पर है) संलग्न किया गया है		
14.	क्या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सीबीआरटी आयोजित करने का करार (अनुबंध-III के अनुसार) संलग्न किया गया है ।		
15.	क्या इस दस्तावेज़ के खंड 14 तथा 41 में यथावर्णित दस्तावेज़ / प्रमाण पत्र संलग्न किए गए है	हां/नहीं	
16.	क्या करार (अनुबंध-5 में दिया गया) संलग्न किया गया है ।		

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
दूरभाष सं./मोबाइल सं./फैक्स सं.
सहित फर्म का नाम एवं पता

ऑन लाइन बोली प्रस्तुत करने के अनुदेश

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का प्रयोग करते हुए सी पी पी पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से बोलियों की साफ्ट प्रति प्रस्तुत करना अपेक्षित है । नीचे दिए गए अनुदेश का तात्पर्य सी पी पी पोर्टल पर रजिस्टर करने, अपेक्षानुसार अपनी बोलियों को तैयार करने तथा सी पी पी पोर्टल पर अपनी बोलियों को ऑन लाइन प्रस्तुत करने में बोलीदाताओं की सहायता करना है ।

सीपीपीपी पोर्टल पर ऑन लाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए और अधिक उपयोगी जानकारी https : // eprocure.gov.in / eprocure /app से प्राप्त की जा सकती है ।

पंजीकरण:

1. बोलीदाताओं को केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के ई-प्रोक्यूरमेंट माड्यूल (यू आर एल: https:// eprocure.gov.in/eprocure/app) (सी पी पी पोर्टल) पर **"ऑन लाइन बिडर एनरॉलमेंट"** के लिंक पर क्लिक करके जो नि:शुल्क है, पर पंजीकरण करना अपेक्षित है ।

2. पंजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में बोलीदाताओं को यूनिक यूजरनेम का चयन तथा अपने अकाउन्ट के लिए पासवर्ड देना अपेक्षित होगा ।

3. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि पंजीकरण प्रक्रिया के रूप में अपने वैध ई-मेल आई डी तथा मोबाइल नं. को रजिस्टर करें । इसे सी पी पी पोर्टल से किसी भी प्रकार के संपर्क के लिए प्रयोग में लाया जाएगा ।

4. पंजीकरण पर बोलीदाताओं को अपने -अपने प्रोफाइल सहित सी सी ए भारत द्वारा मान्यता प्राप्त (अर्थात सीफी / टीसीएस / एन कोड / ई-मुद्रा आदि) किसी प्रमाणिक प्राधिकारी द्वारा जारी वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (साइनिंग की यूसेज सहित श्रेणी II या श्रेणी III प्रमाण पत्र) को रजिस्टर करना अपेक्षित होगा ।

5. बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डी एस सी पंजीकृत करना चाहिए । कृपया नोट कर लें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के प्रति जिम्मेदार होंगे कि उन्होंने अपना डी एस सी किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं दिया है, जो इसका दुरूपयोग कर सकता है ।

6. बोलीदाता तब सुरक्षित लॉग इन के माध्यम से अपना यूजर आई डी / पासवर्ड और डी एस सी / ई- टोकन के पासवर्ड को प्रविष्ट कर साइट पर लॉग करें ।

<u>निविदा दस्तावेज़ की खोज:</u>

1) सी पी पी पोर्टल पर विभिन्न खोज विकल्प मौजूद है, ताकि विभिन्न पैरामीटरों द्वारा सक्रिय निविदा की खोज हेतु बोलीदाताओं को सुविधा हो । इन पैरामीटरों में निविदा आई डी, संगठन का नाम, अवस्थिति, तारीख, मूल्य आदि शामिल किए जा सकते हैं । निविदा की उन्नत खोज के लिए एक और विकल्प मौजूद है जिसमें बोलीदाता अनेक खोज पैरामीटरों की संख्या जैसे संगठन का नाम, संविदा प्रपत्र, अवस्थिति, तारीख, अन्य कीवर्ड आदि, सी पी पी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज करने हेतु, शामिल कर सकते हैं ।

2) अपनी रूचि की निविदा का चयन करने के बाद बोलीदाता अपेक्षित दस्तावेज़ / निविदा कार्यक्रम डाऊनलोड कर सकते हैं । ये निविदाएं संबंधित 'मेरी निविदा' फोल्डर में भेजी जा सकती हैं । यह सी पी पी पोर्टल बोलीदाताओं को एस एम एस/ ई-मेल के माध्यम से बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में जारी होने वाले शुद्धि पत्र की जानकारी देने की क्षमता प्रदान प्रदान करेगा ।
3) बोलीदाता को प्रत्येक निविदा को दिए गए यूनिक निविदा आई डी का एक नोट बना लेना चाहिए यदि वे हैल्प डैस्क से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण / मदद चाहते है ।

<u>बोली को तैयार करना:</u>

1) अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में प्रकाशित शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए ।

2) कृपया, निविदा विज्ञापन तथा निविदा दस्तावेज़ों को सावधानीपूर्वक पूरी तरह से पढ़ लें और यह समझ लें कि बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ अपेक्षित हैं । कृपया लिफाफे की संख्या जिसमें बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, प्रत्येक दस्तावेज़ जिन्हें प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है का नाम तथा विषय वस्तु सहित दस्तावेज़ों की संख्या को नोट कर लें । इनसे उत्पन्न किसी प्रकार के विचलन के कारण बोली अस्वीकृत की जा सकती है ।

3) बोलीदाता को अग्रिम में निविदा दस्तावेज / अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले बोली दस्तावेज़ों को तैयार करना चाहिए और साधारणतया ये दस्तावेज़ पी डी एफ / एक्स एल एस/ डी डब्ल्यू एफ / आर ए आर / जे पी जी फार्मेट में होने चाहिएं । बोली दस्तावेज़ों को श्वेत तथा श्याम विकल्प सहित 100 डी पी आई के साथ स्कैन किया जाए जो स्कैन किए गए दस्तावेज़ों के आकार को छोटा करने में मदद करता है।

4) उसी प्रकार के अपेक्षित मानक दस्तावेज़ों का अपलोड करने में लगने वाले समय एवं प्रयास को कम करने के लिए, जिसे प्रत्येक बोली के रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, ऐसे मानक दस्तावेज़ों (अर्थात पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान किया गया है जो बोलीदाताओं को मुहैया कराई गई है। ऐसे दस्तावेज़ों को अपलोड करने के लिए बोलीदाता “माई स्पेस” या “अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़” वाले क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो उनके पास उपलब्ध है । बोली प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेज़ों को सीधे “माई स्पेस” पर प्रस्तुत सकते है और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है । यह बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को अपेक्षित रूप से कम करेगा ।

<u>बोली को प्रस्तुत करना :</u>

1) बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम में साईट पर लॉग करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर अर्थात् बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख या उससे पहले अपलोड कर सकते हैं। अन्य मुद्दे के कारण किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होंगे ।

2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में यथानिर्दिष्ट अपेक्षित बोली दस्तावेज़ों को एक-एक कर अपलोड कर डिजिटल हस्ताक्षर करने हैं ।

3) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में यथा लागू निविदा शुल्क / धरोहर जमा राशि का भुगतान करने के लिए "ऑफ लाईन" भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और लिखत के विवरण को प्रविष्ट करना होगा ।

4) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार धरोहर जमा राशि तैयार करनी चाहिए । मूल दस्तावेज़ को डाक / कुरियर / संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख या निविदा दस्तावेज़ में यथा निर्दिष्ट तारीख तक भेजी जानी चाहिए । डिमांड ड्राफ्ट / कोई अन्य स्वीकार्य रूप या व्यक्तिगत रूप से भेजे गए विवरणों का मिलान स्कैन प्रति में उपलब्ध विवरण तथा बोली प्रस्तुत करते समय प्रविष्ट किए गए डेटा के साथ कर लेना चाहिए । अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

5) बोलीदाताओं से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि उन्होंने अनिवार्य रूप से प्रदान किए गए फार्मेट में ही अपनी वित्तीय बोली को जमा किया है तथा कोई अन्य फार्मेट स्वीकार्य नहीं है । यदि बोली मूल्य, निविदा दस्तावेज़ के साथ मानक बी ओ क्यू फार्मेट में दिया गया है, तो उक्त को डाउन लोड किया जाए और उसे सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाए । बोलीदाताओं को बी ओ क्यू फाइल डाउन लोड करना अपेक्षित है इसे खोलें और अपने वित्तीय कोट्स तथा अन्य विवरणियों (जैसे बोलीदाता

का नाम) सहित सफेद रंग की (असुरक्षित) सेल्स को पूरा करें । किसी अन्य सेल्स को परिवर्तित न करें । एक बार विवरणियों के पूरा हो जाने पर बोलीदाता को इसे सेव कर लेना चाहिए और फाइल के नाम को परिवर्तित किए बिना ऑन लाइन प्रस्तुत कर दें । यदि बी ओ क्यू फाइल को बोलीदाता द्वारा संशोधित किए जाते हुए पाए जाते हैं तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी ।

6) सर्वरटाइम (जिसे बोलीदाता के डेश बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है) को बोलीदाता द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, बोलियों को खोलना आदि के संदर्भ में मानक समय माना जाएगा । बोलीदाताओं को बोली के प्रस्तुतीकरण के दौरान इस समय का अनुपालन करना चाहिए ।

7) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ इन्क्रिपशन प्रविधि पी.के.आई का प्रयोग करते हुए इन्क्रिप्टेड होंगे ताकि डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके । बोली को खोले जाने के समय तक प्रविष्ट किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है । इन्क्रिपशन प्रौद्योगिकी के 128 बिट सुरक्षित सॉकेट लेयर का प्रयोग करते हुए बोली की गोपनीयता को अनुरक्षित किया गया है । संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा स्टोरेज इन्क्रिपशन किया गया है । कोई बोली दस्तावेज़ जिसे सर्वर पर अपलोड किया गया है वह क्रर्मिक कुंजी जनित प्रणाली का उपयोग करते हुए क्रमिक इन्क्रिपशन के अध्यधीन है । इसके अतिरिक्त यह क्रेता / बोली खोलने वाली सार्वजनिक कुंजी का प्रयोग करते हुए एसमैट्रिक इन्क्रिपशन के अध्यधीन है । समग्र रूप से अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ केवल प्राधिकृत बोली खोलने वाले के द्वारा निविदा के खोलने के बाद ही पठनीय होगा ।

8) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वाले अधिकारी द्वारा निविदा को खोलने के बाद ही पठनीय होगा ।

9) बोली के सफल तथा समयबद्ध तरीके से प्रस्तुतीकरण (अर्थात् पोर्टल में "फ्रीज़ बिड सबमिशन" को क्लिक करने के बाद), पोर्टल सफल बोली प्रस्तुतीकरण संदेश देगा और बोली सं. और सभी संगत विवरणी सहित बोली को प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय के साथ बोली समरी प्रदर्शित हो जाएगी ।

10) बोली समरी को मुद्रित किया जाना अपेक्षित है और बोली के प्रस्तुतीकरण के पावती के रूप में इसे रख लें । इस पावती को बोली के खुलने की किसी भी बैठक के लिए एन्ट्री पास के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है ।

<u>बोलीदाताओं को सहायता</u>

1) निविदा दस्तावेज़, उसमें समाविष्ट निबंधन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछ ताछ के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में निर्दिष्ट संपर्क किए जाने वाले संगत व्यक्ति को संबोधित की जानी चाहिए ।

2) ऑन लाइन बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की पूछ ताछ या सामान्य रूप से सी पी पी पोर्टल से संबंधित पूछ ताछ को 24X7 सी पी पी पोर्टल हेल्प डेस्क को अग्रेषित कर सकते हैं । हेल्प डेस्क के लिए संपर्क नं. 180030702232 है । बोलीदाता + 91-7878007972 एवं +91-7878007973 से भी मदद ले सकते हैं ।